निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,

उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़,

देहरादून–248001

दूरभाष न0–0135–2984041

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या –01 से 16 तक

मैनुअल संख्या	मैनुअल का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	होम्योपैथिक निदेशालय का संगठन, विशिष्टयां कृत्य एवं कर्तव्य	03 से 04
2.	विभागीय संगठनात्मक संरचना	05 से 23
3.	निर्णय करने की प्रक्रिया	24
4.	कृत्यों का निर्वाहन के लिये मानक	25
5.	अपने नियंत्रणाधीन धारित कार्मिकों के अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिता और अभिलेख।	26 से 50
6.	दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	51 से 62
7.	नीति बनाने एवं उसके कार्यान्वयन	63
8.	होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का गठन	64 से 65
9.	अधिकारियों की निर्देशिका	66
10.	परिश्रिमिक एवं निर्धारण की पद्धति	67
11.	शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियां	68 से 112
12.	अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमो के क्रियान्वयन	113
13.	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	114
14.	इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना	115
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	116
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम	117 से 120

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005– <u>मैनुअल संख्या – 1</u>

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड के देहरादून के मैनुअल के नाम

1– संगठन की विशिष्टयां, कृत्य एवं कर्तव्य

प्रस्तावना – होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का तृतीय पंचवर्षीय योजना से आरम्भ हुआ। इस पद्धति के माध्यम से अतिदुर्गम के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में जनता को चिकित्सा सुविधा पहुंचाकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है।

वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता न केवल निर्धन व्यक्ति तक सीमित है बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज अन्य चिकित्सा पद्धति धारक भी इस चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। इस प्रकार अन्य चिकित्सक भी जटिल और असाध्य रोगों से रोगी को जीवन प्रदान करने के लिए, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करने का परामर्श देते हैं। यह चिकित्सा अपने प्रभावकारी मितव्ययी व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न डालने वाले गुणों के कारण लोकप्रियता के साथ–साथ दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जा रही है।

उत्तर–प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना दिनांक 09.11.2000 में हुई जिसमें राज्य के विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन शासनादेश संख्या–884/XXVIII-1(4)-2009-40/2002 दिनांक 15, दिसम्बर 2009 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के अधीन होम्योपैथिक निदेशालय एवं जनपद स्तरीय संरचना ढांचे का गठन किया गया है जिसमें अन्य पदों के साथ–साथ निदेशक होम्योपैथिक का पद सृजित कर विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

निदेशालय की स्थापना :– होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या–1956/XXXIII (1)-2003-04/2002 दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 को की गयी जो महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/आयुष परिषर, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित है। उत्तराखण्ड में विधिक रूप से निदेशक, होम्योपैथी को उन समस्त कार्यों का निर्वाहन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है जो कि उत्तर–प्रदेश में निदेशक होम्योपैथी द्वारा किये जाते हैं।

कृत्य और कर्तव्य :– निदेशालय स्तर पर कर्तव्य का बोध सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, होम्योपैथिक को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 पर आधारित है। राज्य स्थापना उपरान्त निदेशालय एवं जनपद स्तरीय विभागीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है। वर्तमान में निदेशक होम्योपैथी, कार्यरत हैं और राज्य के सभी अधिकारी/कर्मचारी आचरण नियमावली सम्बन्धी नियमों प्रक्रियाओं एवं निर्देशों जो समय–समय पर शासन स्तर द्वारा निर्गत किया जाता है का पालन करते हैं।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 12(डी) के अनुसार निदेशालय अध्यावधिक प्रोन्नति न होने के कारण निदेशालय में दो उप निदेशक, दो संयुक्त निदेशक एवं एक निदेशक का पद (कुल 05 पद) सृजित हैं जिसके सापेक्ष दो उप निदेशक, तैनात हैं, वरिष्ठता के आधार पर निदेशक के रिक्त पद पर एक उप निदेशक को कार्यवाहक निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।

निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व सम्बन्धित सेवा नियमावली तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय 18 ए के साथ–साथ समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। निदेशक द्वारा क्षेत्रों से प्राप्त समस्त सूचना समीक्षा कर शासन के चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग को प्रेषित करेंगे। समस्त विभागीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करने तथा उनके अधीन नियुक्त अधिकारियों के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी बनाया गया है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक स्वयं है उनके वार्षिक प्रविष्टि के प्रकरण में स्वीकृतकर्ता का दायित्व दिया गया है। निदेशक द्वारा समय–समय पर निदेशालय में तैनात अधिकारियों को कार्य आवंटन किया जाता है। निदेशक द्वारा समुचित निर्देश/आदेश निर्गत किये जाते है।

1– राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं स्वस्थ रखने हेतु औषधियों, सामाग्रियों तथा साज–सज्जा आदि की व्यवस्था किया जाना।

2– राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के आवासीय एव अनावासीय भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है।

3– राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन में सहयोग किया जाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 मैनुअल संख्या– 2

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड। के अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य

विभागीय संगठनात्मक संरचना निम्नवत है :–

श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
	शासन स्तर पर	
	सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा	
	अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा	
	निदेशालय स्तर	
1	निदेशक	01
2	संयुक्त निदेशक	02
3	उप–निदेशक	02
4	लेखा अधिकारी	01
5	ज्येष्ठ लेखा परिक्षक	01
6	लेखा परिक्षक	01
7	वैयक्तिक अधिकारी	01
8	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	02
9	वैयक्तिक सहायक	02
10	प्रशासनिक अधिकारी	01
11	चीफ फार्मासिस्ट	01
12	लेखाकार	01
13	अनुसेवक कम संगणक	01
14	सहायक लेखाकार	01
15	प्रधान सहायक	02
16	वरिष्ठ सहायक	02
17	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	03
	योग	**25**
01	वाहन चालक (आऊट सार्सिंग)	02
02	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (आऊट सार्सिंग)	04
	योग	**06**
	कुल योग	**31**

जिला स्तर पर

01	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	13
02	चिकित्साधिकारी	111
03	भेषजिक (फार्मासिस्ट)	111
04	प्रशासनिक अधिकारी	01
05	कनिष्ठ लिपिक	13
06	मुख्य सहायक	05
07	प्रवर सहायक	07
	योग	**261**
01	वाहन चालक (आऊट सार्सिंग)	13
02	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (आऊट सार्सिंग)	132
	योग	**145**
	कुल योग	**406**

संविधान के अनुच्छेद –154 के अधीन राज्य कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित है और इन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद–166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त किये जायेंगे। विभागाध्यक्ष अपनी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का निर्वहन वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, एम0जी0ओ0 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत करते हैं।

प्रेषक,

निदेशक होम्योपैथी (उ0प्र0)
इन्दिरा भवन, लखनऊ

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन,
देहरादून।

संख्या – नि0हो0/32/86/6745 लखनऊ/दिनांक :– 15 जून, 2001

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड। शासन के पत्र संख्या– 698/सं0स0/कैम्प/2001, दिनांक 26 मई, 2001 के सन्दर्भित करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में होम्योपैथिक निदेशालय उ0प्र0 में विद्यमान पदों के वेतनमान का विवरण निम्नवत् है :–

	विद्यमान/स्वीकृत पद	**वेतनमान**
1–	निदेशक (होम्योपैथी)	(रू0 16400–450–20000)
2–	उप निदेशक (शिक्षा)	(रू0 10,000–325–15200)
3–	उप निदेशक (होम्योपेथी)	(रू0 10,00–325–15200)
4–'	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	(रू012000–375–16500)
5–	सहायक, निदेशक (उपचार)	(रू0 8000–275–13500)
6–	सहायक, निदेशक (शिक्षा)	(रू0 8000–275–13500)
7–	वैयक्तिक सहायक (निदेशक)	(रू0 5500–175–9000)
8–	वैयक्तिक सहायक (कार्यालय)	तदैव
9–	कार्यालय अधीक्षक	(रू0 5000–150–8000)
10–	अन्वेषक कम संगणक	(रू0 4500–125–7000)
11–	आशुलिपिक	(रू0 4000–100–6000)
12–	लेखापरीक्षक	तदैव
13–	वरिष्ठ सहायक	(रू0 4500–125–7000)
14–	वरिष्ठ लिपिक	(रू0 4000–100–6000)
15–	लेखा लिपिक	तदैव
16–	टंकण/कनिष्ठ लिपिक	(रू0 3050–75–3950–80–4590)
17–	वाहन चालक	तदैव
18–	खजांची	(रू0 4500–125–7250)
19–	चपरासी/चौकीदार/अर्दली	(रू0 2250–55–2660–60–3200)

भवदीय,
(राम अवध सिंह)
निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय–

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सालय का नाम
A	उत्तरकाशी	
1	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल)
2	2	रा0हो0चि0 मसरी
3	3	रा0हो0चि0 स्यालना
4	4	रा0हो0चि0 ज्यान्दणु
5	5	रा0हो0चि0 पुरोला
6	6	रा0हो0चि0 नौगांव
	योग	**6**
B	हरिद्वार	
7	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल)
8	2	रा0हो0चि0 ब्रमपुर
9	3	रा0हो0चि0 श्यामपुर
10	4	रा0हो0चि0 खानपुर
11	5	रा0हो0चि0 भगवानपुर
12	6	रा0हो0चि0 हिरनाखेड़ी
13	7	रा0हो0चि0 जगजीतपुर
14	8	रा0हो0चि0 चौली
15	9	रा0हो0चि0 लण्ढौरा
16	10	रा0हो0चि0 भक्तोवाली
17	11	रा0हो0चि0 रोशनाबाद
	योग	11
C	देहरादून	
18	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल)
19	2	रा0हो0चि0 भुड्डी
20	3	रा0हो0चि0 फनार
21	4	रा0हो0चि0 छरबा
22	5	रा0हो0चि0 रायवाला

23	6	रा0हो0चि0 सभावाला
24	7	रा0हो0चि0 हर्रावाला
25	8	रा0हो0चि0चकराता
26	9	रा0हो0चि0 ऋशिकेष
27	10	रा0हो0चि0 डोईवाला
28	11	रा0हो0चि0 कालसी
29	12	रा0हो0चि0 मसूरी
30	13	रा0हो0चि0 सचिवालय देहरादून
31	14	रा0हो0चि0 विधान सभा
32	15	रा0हो0चि0 बसाया
33	16	रा0हो0चि0 नेहरूग्राम
	योग	**16**
D	चम्पावत	
34	1	रा0हो0चि0 जिला चिकित्सालय
35	2	रा0हो0चि0 मंडुवा
36	3	रा0हो0चि0 लोहाघाट
		3
E	उधमसिंहनगर	
37	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल) रूद्रपुर
38	2	रा0हो0चि0 किच्छा
39	3	रा0हो0चि0 खटीमा
40	4	रा0हो0चि0 बाजपुर
41	5	रा0हो0चि0 बकुलिया झनकईया
42	6	रा0हो0चि0 काशीपुर
43	7	रा0हो0चि0 सितारगंज
	योग	7
F	टिहरी	
44	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल)
45	2	रा0हो0चि0 मुनि की रेती
46	3	रा0हो0चि0 नागराजधार

47	4	रा0हो0चि0 नरेन्द्रनगर
48	5	रा0हो0चि0 काटल
49	6	रा0हो0चि0 ओडाडा
50	7	रा0हो0चि0 हिन्डोलाखाल
51	8	रा0हो0चि0 कठूड
52	9	रा0हो0चि0 पिलखी
53	10	रा0हो0चि0 द्वारगढ़
54	11	रा0हो0चि0 कुम्भशिला
		11
55	1	रा0हो0चि0(जिला अस्पताल)
56	2	रा0हो0चि0 व्यासघाट
57	3	रा0हो0चि0 श्रीनगर
58	4	रा0हो0चि0 कोटद्वार
59	5	रा0हो0चि0मरगदना(रा0ब0पु0)
60	6	रा0हो0चि0 पैठाणी
60	7	रा0हो0चि0 नैनीडांडा
61	8	रा0हो0चि0 बजवाड़
62	9	रा0हो0चि0 पावौं
		9
H	अल्मोडा	
63	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल) अल्मोड़ा
64	2	रा0हो0चि0 गणनाथ
65	3	रा0हो0चि0 खीड़ा
66	4	रा0हो0चि0 रानीखेत
67	5	रा0हो0चि0 भिकियासैंण
68	6	रा0हो0चि0 चौंसली
69	7	रा0हो0चि0 गुमोड़ी
70	8	रा0हो0चि0 संग्रोली
71	9	रा0हो0चि0 जैंती
72	10	रा0हो0चि0 तडांगताल
73	11	रा0हो0चि0 मठखानी

74	12	रा0हो0चि0 द्वाराहाट
	योग	12
	चमोली	
75	1	रा0 हो0 चि0 (जिला अस्पताल)
76	2	रा0 हो0 चि0 निजमुल्ला
77	3	रा0 हो0 चि0 पैनगढ़
78	4	रा0 हो0 चि0 कर्णप्रयाग
79	5	रा0 हो0 चि0 जोशीमठ
80	6	रा0 हो0 चि0 गैरसैण
81	7	रा0हो0चि0 पाखी
82	8	रा0हो0चि0 गौचर
	योग	8
J	बागेश्वर	
83	1	रा0हो0चि0 (जिला चिकि0)
84	2	रा0हो0चि0 बैजनाथ
85	3	रा0हो0चि0 षिरकोट
86	4	रा0हो0चि0 बढ़ियाकोट
87	5	रा0हो0चि0 कपकोट
88	6	रा0हो0चि0 भण्डारी सेरा
	योग	**6**
K	नैनीताल	
89	1	रा0हो0चि0 (जिला अस्पताल)
90	2	रा0 हो0 चि0 हरीषताल
91	3	रा0 हो0 चि0 कुवंरपुर
92	4	रा0 हो0 चि0 बसानी
93	5	रा0 हो0 चि0 पटवाडांगर
94	6	रा0हो0 चि0 बेस चि0 हल्द्वानी
95	7	रा0हो0चि0मा0उच्च न्यायालय
96	8	रा0 हो0 चि0 बेतालघाट
97	9	रा0 हो0 चि0 पदमपुरी

98	10	रा0 हो0 चि0 रामनगर
	योग	**10**
	रूद्रप्रयाग	
99	1	रा0 हो0 चि0 (जिला अस्पताल)
100	2	रा0हो0चि0 मणिपुर
101	3	रा0 हो0 चि0 नारायणकोटि
102	4	रा0 हो0 चि0 बुढनालस्या
103	5	रा0 हो0 चि0 अगस्तमुनि
		5
M	पिथौरागढ़	
104	1	रा0 हो0 चि0 (जिला अस्पताल)
105	2	रा0 हो0 चि0 लीलम
106	3	रा0 हो0 चि0 कालिका
107	4	रा0 हो0 चि0 धारचुला
108	5	रा0 हो0 चि0 भांतड
109	6	रा0 हो0 चि0 बेरीनाग
110	7	रा0 हो0 चि0 मुनस्यारी
	योग	7
कुल योग		111

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालय–

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सालय का नाम
1	देहरादून	प्रा0 स्वा0 केन्द्र राजावाला देहरादून
2		प्रा0 स्वा0 केन्द्र थानों देहरादून
3		प्रा0 स्वा0 केन्द्र मानथात देहरादून
4	हरिद्वार	सा0स्वा0केन्द्र लक्सर हरिद्वार
5		प्रा0स्वा0 केन्द्र पथरी रोह हरिद्वार
6	टिहरी	सा0स्वा0केन्द्र बैलेश्वर टिहरी
7		प्रा0स्वा0केन्द्र चम्बा टिहरी
8		प्रा0 स्वा0 केन्द्र घुत्तू टिहरी
9		प्रा0 स्वा0 केन्द्र हिंसरियाखाल टिहरी
10	उत्तरकाशी	प्रा0स्वा0 केन्द्र पीपलीराजक उत्तरकाशी
11		प्रा0स्वा0केन्द्र भटवाड़ी उत्तरकाशी
12		प्रा0स्वा0 केन्द्र ब्रहमखाल उत्तरकाशी
13	पौड़ी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र ल्वाली पौडी,
14		सा0स्वा0केन्द्र बीरोंखाल पौड़ी
15		प्रा0 स्वा0 केन्द्र सीकू पौडी
16	चमोली	प्रा0स्वा0केन्द्र घाट चमोली
17	अल्मोड़ा	प्रा0स्वा0 केन्द्र मौनखाल अल्मोड़ा
18		प्रा0स्वा0केन्द्र हवालबाग अल्मोड़ा
19		सा0स्वा0केन्द्र चौखुटिया अल्मोड़ा
20		प्रा0स्वा0केन्द्र भतरौंज खान अल्मोड़ा
21	उधमसिंह नगर	प्रा0स्वा0केन्द्र नारायणनगर उधमसिंह नगर
22		प्रा0स्वा0केन्द्र केलाखेड़ा उधमसिह नगर
23		सा0स्वा0केन्द्र जसपुर उधमसिंह नगर
24	पिथौरागढ़	सा0स्वा0केन्द्र डीडीहाट पिथौरागढ़
25		प्रा0स्वा0 केन्द्र झूलाघाट पिथौरागढ़
26		प्रा0स्वा0 केन्द्र मुवानी पिथौरागढ़
27	चम्पावत	प्रा0स्वा0 केन्द्र पुल्लाहिण्डोला चम्पावत
28		प्रा0स्वा0केन्द्र बाराकोट चम्पावत
29	नैनीताल	सा0स्वा0केन्द्र कोटाबाग नैनीताल
30		प्रा0स्वा0 केन्द्र बिन्दुखाता नैनीताल
31		प्रा0स्वा0केन्द्र रामगढ़ नैनीताल
32	बागेश्वर	प्रा0स्वा0 केन्द्र कन्धार बागेश्वर

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालय–

आर0सी0एच0 विंग

क्र0सं0	जनपद का	चिकित्सालय का नाम
1	हरिद्वार	आर0सी0एच0 विंग संयुक्त चिकित्सालय रूड़की
2	उधमसिंह नगर	आर0सी0एच0 विंग जिला चिकित्सालय उधमसिंह नगर
3	अल्मोड़ा	आर0सी0एच0 विंग महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा
4	पिथौरागढ़	आर0सी0एच0 विंग जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़
5	पौड़ी	आर0सी0एच0 विंग थलीसैंण पौड़ी

त्वचा रोग केन्द्र,

क्र0सं0	जनपद का	चिकित्सालय का नाम
1	देहरादून	त्वचा रोग केन्द्र, कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून
2	पौड़ी	त्वचा रोग केन्द्र, जिला चिकित्सालय, पौड़ी
3	टिहरी	त्वचा रोग केन्द्र, जिला चिकित्सालय, टिहरी
4	नैनीताल	त्वचा रोग केन्द्र, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल

होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं अधिकारों का विवरण है :–

1– निदेशक :– निदेशक विभाग प्रशासनिक एवं वित्तीय मुखिया होने के नाते विभागीय कार्यकलापों हेतु शासन के प्रति उत्तरदायी है। उन पर विभाग में अपने अधीनस्थ्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सम्पादित विभिन्न योजनाओं एवं लेखा का रख–रखाव डयूटी पर प्रभारी नियंत्रण रखने का दायित्व है। निदेशक का यह भी दायित्व है कि वह अपने नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करवायें तथा यथा समय शासन से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर उसके विरूद्ध होने वाले आय–व्ययक की प्रगति पर नियंत्रित रखे ताकि किसी मद में व्यय अधिक न होने पाये। वह यह भी देखेंगे कि वर्ष के लिये आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग यथा समय हो जाये तथा वर्ष के अन्तिम माह में यथा सम्भव अत्यधिक व्यय की स्थिति न बने ताकि कोई अनियमितता न हो, साथ ही वह यह भी देखेंगे के वर्ष में व्यय न हो सकने वाले सम्भावित धनराशि का तत्काल सर्मपण हो जाये। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानातरण एवं चरित्र प्रविष्टियों में अंकन आदि का कार्य भी किया जाता है। वर्तमान में डा0 जे0एल0 फिरमाल, निदेशक के रूप में तैनात हैं, निदेशक होम्योपैथिक को होम्योपैथिक औषधि विक्रय एवं विनिर्माण हेतु अनुज्ञापन अधिकारी बनाया गया है।

2– संयुक्त–निदेशक :– विभाग में निदेशक के बाद संयुक्त–निदेशक का पद है संयुक्त–निदेशक, निदेशक के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर सम्पादित होने वाले समस्त कर्यों के प्रति उत्तरदायी है।

3– उप–निदेशक :– विभाग में संयुक्त निदेशक के बाद उप–निदेशक का पद है उप–निदेशक, निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। वर्तमान में डा0 कमलजीत सिंह एवं डा0 किरन मठपाल, उप निदेशक के रूप में तैनात है।

4– वित्त अधिकारी :– वित्त नियंत्रक अपने कार्यालाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर से अपने वित्तीय दायित्वों के निर्वाहन हेतु वित्त प्रशासन के संचालन में कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, बजट मैन्युवल की व्यवस्था के अनुरूप विभागों में बजट आवंटन नियंत्रण संबंधित कार्य विभाग में पदस्थ वित्त सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा अधिनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन संबंधि आदेश विभागों/अधिष्ठानों के पदस्थ वरिष्ठतम वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी किये जाते है वर्तमान में श्री शुभम तोमर, वरिष्ठ वित्त अधिकारी के पद पर तैनात हैं।

5– लेखाकार– निदेशालय में लेखाकार पद सृजित है।

6– वैयक्तिक अधिकारी– निदेशक/संयुक्त निदेशक के कार्यों के सम्पादन हेतु वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति की गयी है।

7– वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकः– संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, को विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के सम्पादन किये जाने हेतु संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के लिए वरिष्ठ वैयक्ति सहायक तैनात हैं।

8– प्रधान सहायक :– निदेशालय में 02 प्रधान सहायक के पद सृजित हैं 01 प्रधान सहायक के पद श्री कुमुद तिवारी, तैनात हैं।

9– वरिष्ठ सहायक :– निदेशालय में 02 वरिष्ठ सहायक के पद सृजित हैं 01 वरिष्ठ सहायक के पद श्री सुरेश प्रसाद, तैनात हैं।

10— कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर— निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु 02 कनिष्ठ सहायक को आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया गया है।

11— वाहन चालक :— निदेशक एवं संयुक्त निदेशकों को आवंटित वाहन के संचालन हेतु 02 वाहन चालक आऊट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये हैं।

12— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :— निदेशालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के कार्यों के निर्वाहन हेतु चार स्टाफ आऊट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये हैं।

13— जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी :— जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी विभाग के जनपद में स्थित इकाई का मुखिया एवं विभाग का कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते विभागीय योजनाओं एवं जनपद स्तरीय क्रियाकलापों हेतु विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, शासनादेश संख्या—3185/सेक—15/5—96—39/94 दिनांक 08 नवम्बर, 1996 के द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का कार्य निम्नवत् है—

(1) अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन

(2) अवकाश स्वीकृति— समूह 'ख' के अधिकारियों का 30 दिन का अवकाश और समूह 'ग' के कर्मचारियों का 90 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

(3) **<u>स्थानान्तरणः—</u>** जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद के भीतर समूह 'ग' के कर्मचारी का स्थानान्तरण निदेशालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकता है। समूह 'घ' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जा सकता है।

(4) **<u>नियुक्त का प्राधिकारीः—</u>** जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी समूह 'घ' के पदों पर शासन एवं निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति कर सकते हैं।

(5) **<u>आहरण—वितरण का अधिकारीः—</u>** शासनादेश संख्या—78/सेक—15/पांच—95— 05/94 दिनांक 10.03.1995 द्वारा वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(6) **<u>यात्रा भत्ताः—</u>** जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं स्वयं के यात्रा—भत्ता बिलों के नियंत्रक अधिकारी बनाये गये है।

(7) **<u>लेखन सामग्री :—</u>** उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली 2008 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सामाग्री, औषधि आदि क्रय करने का नियमानुसार अधिकार प्राप्त है।

8— <u>जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य :—</u>

(1) जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी प्रतिनिधियों के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे।

(2) वे अपने अधीन जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का दो माह में एक बार निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) जिला होम्योपैथिक, चिकित्साधिकारी अपने जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सुसंचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) जनपद के सभी होम्योपैथिक चिकित्सालय जो उनके अधीन है, में सेवित रोगियों की संख्या प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) मासिक आय—व्यय विवरण प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6) अधीनस्थ समस्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक औषधियों की समुचित व्यवस्था हेतु आवंटित बजट राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों से मांगपत्र प्राप्तकर तथा क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्तकर, अनुबन्ध के अनुसार तथा दर उपलब्ध न होने के कारण भण्डार क्रय नियमों के अधीन औषधियों का क्रय कर सम्बन्धित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को समहित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधीनस्थ्य सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य के विपरीत उपलब्धियों की सूचना समय से निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(8) जिला योजना सम्बन्धी समस्त बैठकों में भाग लेने एवं तत्सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना, भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्तुतिकरण/धारण हेतु कार्यवाही करेंगे तथा जिला अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय बनाये रखेंगे।

(9) अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारियों तथा चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों से समन्व्य बनाये रखेंगे तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पूर्ण योगदान देंगे।

(10) निदेशालय द्वारा समय–समय पर मांगी गयी सूचनाओं का सामयिक विवरण प्रेषण करेंगे।

(11) लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों का उत्तरालेख समय से निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तदायी होंगे।

(12) शासन तथा निदेशालय द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली सूचनाओं आदि का सामयिक विवरण प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

(13) केन्द्र पोषित योजनाओं (आर0सी0एच0, त्वचा विज्ञान केन्द्र, एन0एच0एम0 इत्यादि) के सफल संचालन एवं जनपद में निर्वाहन कराने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

संलग्नक—2

संख्याः 3135 / सेक—15 / पांच / 96—39—94

प्रेषक,

श्री रमेश यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपेथिक, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग —15 लखनऊः दिनांकः 08 नवम्बर, 1996

विषय :— होम्योपैथिक विभाग में जिला होम्योपेथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला, होम्योपेथिक चिकित्साधिकारी के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या— नि0हो0 / 40 / 54 / 10182, दिनांक 22—6—1996 के सन्दर्भ में मुझे यह कहना का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में जनपद स्तर पर होम्योपैथिक विभाग में जिला होम्योपेथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी आदि के अधिकारों एवं कर्तव्यों का कोई अलग से मार्ग—दर्शक नहीं है। शासनादेश संख्या—758 / सेक—15 / पाच—95—505 / 94 दिनांक 10 मार्च, 1995 द्वारा इन अधिकारियों का आहराण एवं वितरण का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों के उपयोग के क्रम में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को सेवा सम्बन्धी अन्य अधिकार भी दिये जाने आवश्यक है ताकि जहां एक ओर जनपद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा—सम्बन्धी मामलों को त्वरित गति से निस्तारित कराया जा सके वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यों में भी गति लायी जा सके।

2— अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं जिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये जाते हैं :—

(1) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन।

होम्योपैथिक विभाग के जनपद स्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार अंकित की जायेगी।

...2.

क्रं0 सं0	पदनाम	प्रविष्टिकर्ता अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
1—	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	निदेशक होम्योपेथिक	निदेशक होम्योपेथिक	सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा
2—	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
3—	चिकित्साधिकारी (जिला अस्पताल)	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	—तदैव—	निदेशक, होम्योपैथिक
4—	चिकित्साधिकारी (जिला अस्पताल) (मुख्यालय)	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	—तदैव—	—तदैव—
5—	भेषजिक, (जिला अस्पताल) (मुख्यालय को छोड़कर)	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी।	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी
6—	भोषजिक, जिला अस्पताल, (मुख्यालय)	—तदैव—	जिला प्रभारी, चिकित्साधिकारी	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी
7—	समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर, जिला अस्पताल (मुख्यालय को छोड़कर)	—तदैव—	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
8—	समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर, जिला अस्पताल (मुख्यालय)	—तदैव—	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी

(2) अवकाश

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी– अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी की भी अन्य व्यवस्था होने तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

अधीनस्थ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को 30 दिन तक के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।

अधीनस्थ समूह 'ग' के कर्मचारियों को 90 दिन तक के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति। समूह 'घ' के कर्मचारियों को सभी प्रकार के अवकाश की पूरी स्वीकृति का अधिकार होगा।

जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी– उपरोक्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की भांति जिला अस्पताल/मुख्यालय के सम्बन्ध में अधिकार होगा।

(3) स्थानान्तरण

जिला चिकित्साधिकारी द्वारा अधीनस्थ समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों का जनपद के भीतर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों का जनपद के भीतर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का स्थानान्तरण करने के पूर्व निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। जिला प्रभारी द्वारा जिला अस्पताल के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को संस्तुति करने का अधिकार होगा जिसके अनुसार आदेश जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(4) नियुक्त प्राधिकार

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा **जनपद के समस्त होम्योपैथी** चिकित्सालों एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय के लिए समूह "घ" के पदों पर शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी। समूह "घ" के पदों के लिए प्राधिकारी होंगे। **जिला चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला प्रभारी समूह "घ" के पदों पर शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी। जिला प्रभारी समूह "घ" के पद के लिए जिला अस्पताल के लिए नियुक्त प्राधिकारी होंगे।**

(5) आहरण व वितरण –

शासनादेश संख्या–758/सेक–15/पांच–95–505/94, दिनांक 10–3–95 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकार।

(6) यात्रा– भत्ता –

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अपने विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा–भत्ता बिलों के नियुक्त अधिकारी।

जिला प्रभारी द्वारा जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को स्वयं के यात्रा–भत्ता बिलों का उस प्रकार उपयोग का अधिकार।

(7) <u>दक्षतारोक –</u>

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अपने विभाग के समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचरियों की दक्षता रोक पार करने का पूर्ण अधिकार –**<u>जिला चिकित्सालय के लिए भी वही अधिकार।</u>**

<u>(8) नकदीकरण अवकाश की स्वीकृति–</u>

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को जनपद स्थित चिकित्साधिकारी एवं समूह 'ग' एवं समूह 'घः के कर्मचारियों के नकदीकरण की पूर्ण स्वीकृति का अधिकार है।

(9) <u>लेखन सामग्री –</u>

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सभी होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए प्रति चिकित्सालय एक बार में अधिकतम तीन सौ रूपये तथा पूरे वर्ष में एक हजार रूपये अथवा आवंटित धनराशि की सीमा तक इस मद में व्यय कर सकेंगे। जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय स्थित अस्पताल के लिए इस व्यय को किये जाने का अधिकार होगा।

(10) <u>अनावर्तक व्यय की स्वीकृति/भण्डार –</u>

उपरोक्त लेखन साम्रगी के लिए प्रदत्त अधिकार के समान की राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु स्वीकृति धनराशि अथवा विशेष रूप से आवंटित धनराशि की सीमा तक भण्डार क्रय के नियमों के अन्तर्गत।

(11) <u>होम्योपैथिक औषधि विक्रय एवं विनिर्माण लाइसेन्स हेतु :–</u>

जनपद में होम्योपैथी औषधियों के विक्रय एवं विनिर्माण हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को निरीक्षक बनाया गया है।

(13) <u>रेट्स एण्ड टैक्सन –</u>

जिला चिकित्सालय स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय को छोड़कर जनपद के सभी चिकित्सालयों से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अधीन व स्वीकृति सीमा तक जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को एवं जिला चिकित्सालय स्थित चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी अधिकार।

(14) <u>परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति–</u>

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को छोड़कर शेष के लिए जिला चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं जनपद के अन्य चिकित्सालयों के लिए कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।

3– उपरोक्त अधिकार तात्कालिक प्रभाव से जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये जा रहे हैं जिन जनपदों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित नही हैं व जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के अधिकारों का भी वहन किया जायेगा।

4– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि होम्योपैथिक विभाग में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किये जाने के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्धारण आवश्यक है। अतएव उपरोक्त अधिकार प्रदान किये जाने के साथ–साथ

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी के निम्नानुसार कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं :–

(1) जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी –

1– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी प्रतिनिधायनों के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे।

2– ये अपने अधीन जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को दो माह में एक बार निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

3– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अपने जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सुसंचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

4– जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जो उनके अधीन हैं, में सेवित रोगियों की संख्या प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निदेशालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5– मासिक, आय–व्यय विवरण प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6– अधीनस्थ समस्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक औषधियों की समुचित व्यवस्था हेतु आवंटित बजट की सीमा तक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों से मांग पत्र प्राप्त कर तथा क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर दर अनुबन्ध के अनुसार तथा दर अनुबन्ध उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियमों के अधीन औषधियों का क्रय कार्यरत स्टाफ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

7– अधीनस्थ समस्त सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य के विपरीत उपलब्धियों सूचना समय से निदेशालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

8– जिला योजना सम्बन्धी समस्त बैठकों में भाग लेने एवं तत्सम्बन्धी सूनायें उपलब्ध कराने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना, भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्तुतीकरण/धारण हेतु कार्यवाही करेंगे तथा विषय अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय बनाये रखेंगे

9– अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारियों तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाये रखेंगे तथा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना पूर्ण योगदान देंगे।

10– निदेशालय द्वारा समय–समय पर मांगी गयी सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करें।

11– लोक सभा/विधान सभा/ विधान परिषद प्रश्नों का उत्तरालेख सभा से निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

12– शासन अथवा निदेशालय द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली सूचनाओं आदि का सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

(2) जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी –

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के उपरोक्त कर्तव्यों की भांति जिला अस्पताल एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के सम्बन्ध में जिला प्रधान चिकित्साधिकारी के समान यही कर्तव्य होंगे।

5— जिला होम्योपेथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा इन अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि प्रतिनिधित्व किये जा रहे एवं अधिकार तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और इस सम्बन्ध में किसी बिन्दु पर पूर्व में यदि कोई व्यवस्था की थी तो उसके तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(रमेश यादव)
सचिव

संख्या: 3135/सेक–15/पांच–96–39/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3— समस्त मण्डलीय अपर, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
5— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7— समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक, उ0प्र0।
8— समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9— समस्त जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10— चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(यशवर्द्धन सिन्हा)
उपसचिव

सूचना का अधिकार–2005 मैनुअल संख्या–3

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरादायित्व हित)

1– निदेशालय स्तर – निदेशालय पर समस्त कार्य निदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरान्त सम्पादित किये जाते हैं। किसी प्रकरण में अन्तिम निर्णय विभागाध्यक्ष को ही है। निदेशालय स्तर पर क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री भी निदेशक महोदय के अनुमोदन करने के उपरान्त क्रय की जाती है इसके साथ ही समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार विभागाध्यक्ष में निहित है। सभी नीतिगत मामलों में निर्णय शासन तथा निदेशालय स्तर से लिया जाता है।

2– जनपद स्तर पर वित्तिय तथा प्रशासनिक, अधिकार का प्रतिनिधित्व जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर आहरण वितरण का अधिकार जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पास है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मैनुअल संख्या– 4

होम्योपैथिक निदेशालय उत्तराखण्ड के

अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक

चिकित्सा :–

राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जनमानस एवं पर्यटकों आदि को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से उनके रोग निवारण एवं उन्हें स्वस्थ बनाये रखने हेतु चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए उपचार एवं प्रोत्साहन करना है। उक्त हेतु राज्य के सुदूर शहरी एवं ग्रामीण अंचलों सहित राज्य में कुल 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 के अर्न्तगत 28 होम्योपैथिक चिकित्सालया एवं केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 09 चिकित्सालयों की स्थापना की जा चुकी है। उक्त चिकित्सालयों के संचालन हेतु प्रत्येक चिकित्साधिकारियों के ज्ञानवर्धन एवं नवीन टैक्नालॉजी से व्यवहृत कराने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। उक्त चिकित्सालयों के निरीक्षण एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है। उक्त अधिकारी द्वारा चिकित्सालय के निरीक्षण एवं उसमें आवश्यकतानुसार सामग्री साज–सज्जा तथा औषधि की आपूर्ति आदि की व्यवस्था किये जाने का उत्तरादायित्व दिया गया है। समय–समय पर उनके कार्यों की समीक्षा भी निदेशक द्वारा की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, <u>मैनुअल संख्या– 5</u>
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
के
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
(The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it under its control or used by its discharging its functions.)

विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यलयाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में लिए जाते हैं उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधियन से सम्बन्धित नियमावली।
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –2	सेवा सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश से सम्बन्धित नियमावली।
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	यात्री भत्ता नियमावली।
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –5 भाग–2	लेखा नियमावली, लेखा से सम्बन्धित प्रपत्रों का प्रारूप।
5	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुड़ा हुआ है।
6	ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट– 1940	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की औषधि एवं कॉस्मेटिक निर्माण आदि।
7	बजट मैनुअल	बजट प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्य हेतु।
8	यू0पी0 रिटायरमेन्टस बेनिफिट्स रूल्स– 1961	वर्तमान में इस संदर्भ में नियमावली यथावत प्रयोग में लायी जा रही है।
9	यू0पी0 रिटायरमेन्टस बेनिफिट्स रूल्स –1965	सेवानिवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
10	यू0पी0 रिटायरमेन्टस बेनिफिट्स (चतुर्थ) नियमावली– 1979	सेवानिवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
11	मैनुअल ऑफ गर्वमेन्टस आर्डस	शासनादेशों का संग्रह
12	उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956	सरकारी सेवकों के व्यवहार वं आचरण सम्बन्धी मानक अथवा सिद्धांत
13	उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002	उत्तर प्रदेश के प्राविधानों को उत्तराखण्ड द्वारा अपने नियमों का प्राख्यापन
14	उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आ0 की परिधि के बाहर के पदों के	लोक सेवा आयोग से भिन्न चयन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन।

	लिये नियमावली	
15	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों की वरिष्ठता संबन्धी मानक का आधार।
16	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग के पदों पर सीधी भती नियमावली, 2003	जिन विभागों ने विशिष्ट आधार पर स्वतंत्र नियमावली अधिसूचित नही है उसके लिये चयन प्रक्रिया के मानक।
17	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली, 2002	सरकारी सेवकों के स्थाईकरण के आधार पर एवं स्थिति।
18	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002	प्रक्रिया एवं समय–सारणी जिसके अधीन प्रतिवेदन किया जाना अनिवार्य है।
19	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदण्ड) नियमावली, 2004	प्रोन्नति के मानक।
20	समूह ''घ'' कर्मचारी नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।
21	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985	सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रिया प्रपत्र, दायित्व तथा सक्षम अधिकारी।
22	उत्तराखण्ड समूह 'ग'' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003	समूह ख के अधिकारियों को दी जाने वाली दण्ड प्रक्रिया एवं उसका निस्तारण।
23	उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकितसा परिचर्चा नियमावली 1946 यथा संशोधित, 1968)	राज्य कर्मचारियों को सेवारत/सेवानिवृत्ति/मृतक आश्रितों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा का विवरण
24	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने एवं उसे विभागाध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने सम्बन्धी विवरण।
25	उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975	अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित विवरण
26	उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004	विभिन्न विभागों में भर्ती किये जाने सम्बन्धित आरक्षण, का उल्लेख है।
27	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण, 1993	विभिन्न विभागों में भर्ती किये जाने सम्बन्धित आरक्षण का उल्लेख है।
28	उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन	राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त्त देय

	(कम्प्युटेशन) रूल्स, 1940 प्रथम संशोधन, 1984	राशिकरण से सम्बन्धित नियम।
29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	सूचना से सम्बन्धित।
30	उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2002)	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदो पर तदर्थ नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को विनियमितीकरण किये जाने हेतु।
31	उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवायें की भर्ती नियमावली, 2002	उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती किये जाने सम्बन्धी अनुदेश।

टिप्पणी :—उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया उत्तराखण्ड अलग से संशोधित/प्राख्यापित नहीं करती है।

संख्या– 1573 / चि०शा०चिकी / 2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन,
देहरादून।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

2– निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग देहरादून दिनांक 19 अप्रैल, 2001

विषय :– उत्तराखण्ड। सरकार द्वारा उत्तराखण्ड। में निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु नीति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड। शासन राज्य के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य एवं राज्य के वर्तमान वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए राज्य के निजी क्षेत्र में नये मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु इन कालेजों के स्थापित होने के पश्चात् चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड। राज्य के नवयुवकों को अपने ही राज्य में एक अच्छी चिकित्सा शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो एवं निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड। राज्य में निजी क्षेत्र मे मेडिकल / आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है।

निजी क्षेत्र में मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में निम्न श्रेणियों की संस्थाओं को कालेज खोले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(1) क– विश्वाविद्यालय राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र।

ख– केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सर्थित स्वायत निकाय।

ग– सोसइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटीज भारतीय न्यास अधिनियम 1982 वक्फ आदि के अन्तर्गत पंजीकृत धार्मिक अथवा धर्माथ सार्वजनिक न्यास।

वर्तमान में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को मेडिकल / डेन्टल कालेज खोलने हेतु अर्ह नहीं है परन्तु इन कम्पनियों अथवा किसी वित्त द्वारा सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत न्यास / समिति स्थापित कर उसके माध्यम से मेडिकल / डेन्टल कालेज खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) कई संस्थाओं के आवेदन पत्र होने के पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेद संस्था संबंधित काऊंसिल के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संसाधन / सुविधायें रखती हैं अथवा व्यवस्था किये जाने के समक्ष है मेडिकल / डेन्टल कालेजों के सम्बन्ध में महानिदेशक

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेदिक कलेजों के सम्बन्ध में निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड। से आवेदन पत्रों की जांच करायेगी तथा उनके द्वारा संस्तुति किये गये प्रार्थना पत्रों पर शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) आवेदन संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार–विमर्श करके चयन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड। की अध्यक्षता में गठित कमेटी (इम्पावर्ड कमेटी) द्वारा किया जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी निम्न प्रकार होगी :–

1–	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2–	सचिव, वित्त	सदस्य
3–	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य	सदस्य
4–	सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
5–	महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सदस्य/संयोजक (मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों के सम्बन्ध में)	सदस्य
6–	राज्य के मेडिकल/डेन्टल संकाय के दो वरिष्ठ विशेषज्ञ/चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित कियें	सदस्य
7–	आयुर्वेदिक कालेजों के सम्बन्ध में निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	सदस्य/संयोजक
8–	राज्य के आयुर्वेदिक संकाय का एक विशेषज्ञ/ चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित हो	सदस्य

यह समिति आवश्यतानुसार अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड। द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा कि इम्पावर्ड कमेटी द्वारा चयनित किये आवेदन संस्थाओं को महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड। राज्य की अनापत्ति संबंधित काऊंसिल को भेजी जाये।

(4) संबंधित काऊंसिल का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले मेडिकल/डेन्टल कालेज एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रबन्धक, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें निर्धारित करने दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसी आवेदन संस्थाओं को जिन्हें कि सम्बन्धत काऊंसिल से महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हो गयी हो, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के क्रय पर व्यापार कर में छूट की सुविधा अनावर्तक व्यय पर उसी प्रकार प्रदान की जायेगी जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का अनुमन्य है।

(5) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले मेडिकल/डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों को राज्य सरकार की अनापत्ति तब ही दी जायेगी जब संबंधित आवेदक संस्था द्वारा मेडिकल काऊंसिल ऑफ इन्डिया एवं आयुर्वेदिक कालेजों के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी0सी0आई0एम0) द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप भूमि एवं भवन कालेजों को केवल उतनी ही सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जितनी की उन्हें संबंधित काऊंसिल से अनुमति प्राप्त हुई है एवं इस प्रकार आवंटित सीटों में उत्तराखण्ड। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाना संस्था का दायित्व होगा।

(6) आवेदक संस्थाओं के विद्यार्थियों की भर्ती शुल्क निर्धारण अर्हता परीक्षा संचालन एवं संबंधित परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्धारित विस्तार वाले अस्पतालों की व्यवस्था विभिन्न न्यायालयों के निर्णय एवं संबंधित काऊंसिल द्वारा निर्धारित विनियम दिशा निर्देशों के अनुसार करना होगा सामान्यतः आवेदक संस्था को किराये के भवन में कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि इस प्रकार की कोई छूट/सुविधा काऊंसिल द्वारा नीतिगत रूप से उन्हें न प्रदान की गयी हो। अतः ऐसे मामलों में संस्था से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि वह द्वितीय चरण में अपनी निजी भूमि पर भवनों का निर्माण पूरा कर लेगी।

(7) निजी क्षेत्रों में खोले गये कालेजों की भर्ती की प्रक्रिया राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली यू0पी0एम0टी0 की परीक्षा के माध्यम से ही की जायेगी तथा इसमें संबंधित काऊंसिल के नियत/विनियम एवं दिशा निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उल्लिखित सिद्धांन्तों के अनुपालन किया जायेगा।

(8) निजी क्षेत्रों में मेडिकल/डेंन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों की भर्ती तथा शुल्क निर्धारण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से 1 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीयों हेतु 50 प्रतिशत सीटों योग्यता/विकल्प के आधार पर फ्री सीट्स एवं शेष सीटें अधिक शुल्क (पेड सीट्स) वाली सीटें होंगी।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए यथावश्यक सवंसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसा माध्यमों से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव :—

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड। शासन।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
4— प्राचार्य राजकीय गुरूकुल/ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।
5— सूचना निदेशक उत्तराखण्ड। शासन देहरादून को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
ह0
अपर सचिव

उत्तराखण्ड। शासन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

संख्या 3106 चि0शा0/2001–252 (चि)/2001

देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2001

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा पारित प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियम और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा –17 (2) एवं 17(5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रवृत्त नियमों के क्रम मे उत्तराखण्ड। सरकार द्वारा समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रियेट अथोरिटी) एवं सलाहकार समिति (एडवाजरी कमेटी) का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। एप्रोप्रिएट अथोरिटी

उक्त एप्राप्रिएट अथोरिटी को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक मण्डल पर एक सलाहकार समिति गठित होगा और एप्राप्रिएट अथोरिटी सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है। :–

1)	प्रदेश के मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के महिला अस्पताल की प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका।	सदस्य
2)	मण्डलीय मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के बालरोग विशेषज्ञ/पैथालाजिस्ट।	सदस्य
3)	मण्डलीय मुख्यालय के जनपद के जिला अस्पताल के वरिष्ठतम रेडियोलोजिस्ट।	सदस्य
4)	मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के जिला शासकीय अधिवक्ता।	सदस्य
5)	मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के जिला एवं जनसम्पर्क अधिकारी।	सदस्य
6)	मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के तीन सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम से दो महिला संगठन से सम्बन्धित हो। इनका चयन मण्डलायुक्त की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।	सदस्य

एप्रोप्रिएट अथोरिटी के निर्देशानुसार बैठक आहुत की जायेगी तथा सलाहाकार समिति द्वारा जनपदों की संस्थाओं का पंजीकरण निस्तारीकरण निलम्बन शिकायतों का निराकरण तथा तत्सम्बन्धी सलाह अथवा निर्देश दिये जाने का कार्य किया जायेगा।

एप्रोप्रिएट अथोरिटी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) जेनेटिक सलाक केन्द्र,, जेनेटिक प्रयोगशाला अथवा जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण करना, निलम्बन तथा निरस्त करना।

(2) जेनेटिक सलाहाकार केन्द्र जेनेटिक क्लीनिक तथा जेनेटिक प्रयोशाला हेतु निर्धारित मानों का क्रियान्वयन कराया जाना।

(3) प्रीनेटल सेक्स डिर्टमिनेशन प्रीवेंशन ऑफ मिससूज अधिनियम की शिकायतों पर जांच एवं अधिनियम का उल्लंघन होने पर तुरन्त कार्यवाही किया जाना।

मण्डलों के मुख्यालय जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को छोड़कर शेष समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रिएट अथोरिटी) नियुक्त किया जाता है तथा समुचित उक्त प्राधिकारी को सहायता एवं परामर्श हेतु प्रत्येक जनपद पर (सलाहाकार समति गठित होगी) एप्रोप्रियेट अथोरिटी सलाहाकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित करेंगे।

(1)	जनपद के महिला अस्पताल की प्रमुख/मुख्य वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका	सदस्य
(2)	जिला अस्पताल के बालरोग विशेषज्ञ/पैथलोजिस्ट	सदस्य
(3)	जनपद के वरिष्ठतम रेडियोलोजिस्ट	सदस्य
(4)	जिला शासकीय अधिवक्ता	सदस्य
(5)	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
(6)	जनपद के तीन सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें कम से कम दो सदस्य महिला संगठन से सम्बन्धित हो। इनका चयन जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।	

समुचित प्राधिकारी के निर्देशासनुसार बैठक आहुत की जायेगी तथा सलाहाकार समिति द्वारा जनपदों की संस्थाओं का पंजीकरण निस्तारण निलम्बन, शिकायतों का निराकरण तथा तत्सम्बन्धी सलाह अथवा निर्देश दिये जाने का कार्य किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 3016(1) चि0शा0/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव परिवार कल्याण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव श्री राज्यपाल महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना से महामहिम श्री राज्यपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।
4– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड। को इस अनुरोध सहित कि वे कृपया इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराने का कष्ट करें।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
6– समस्त ा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड। देहरादून।
8– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।।
9– मुख्य सचिव के निजी सचिव को मा0 मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
10– चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
11– गार्ड फाइल

आज्ञा से
ह0
(अर्जुन सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या –340/चि–2–2002/219चि0/2001
देहरादून : 20 जून, 2002

अधिसूचना
प्रकीर्ण

''मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994'' (केन्द्रीय अधिनियम 42 सन 1994) की धारा–1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अधिनियम 42 सन 1994 को सम्पूर्ण राज्य में प्रर्वतन हेतू लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से
आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या 340(1)/चि–2–2002–219चि/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड। शासन देहरादून।
3– समस्त निजी सचिम मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड। शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांलचल शासन।
5– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड। देहरादून।
6– मण्डलायुक्त कुमाँयु/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड। देहरादून।
8– समस्त ा जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।।
9– समस्त ा अनुभाग उत्तराखण्ड। शासन।
10– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करं तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जायें।
11– गार्ड फाइल

आज्ञा से
ह0
(अतर सिंह)
अनु सचिव

संख्याः 1913/चि–2–2002–440/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0,
उत्तराखण्ड। एवं
मुख्य रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु, उत्तराखण्ड।।

चिकित्सा अनुभाग – 2 देहरादून दिनांकः 31 दिसम्बर, 2002

विषय :– जन्म मृत्यु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर अर्न्तविभाग (INTER DEPARTMENT) समन्वय समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 17प/पी0/5/86/2002/28942 दिनांक : 26 नवम्बर 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण योजना को सफल बनाने तथा उसके लिए अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर अर्न्तविभागीय कमेटी के गठन संबंधित पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2225/16–10–157/62 दिनांक 28.06.1974 जो कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखण्ड। में भी लागू है, का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर निम्नवत् अर्न्तविभागीय समन्वय समिति का गठन करते हैं :–

1–	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3–	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
4–	महारजिस्ट्रार, भारत सरकार के प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड।	सदस्य
5–	आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6–	महानिदेशक, उत्तराखण्ड। पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनधि	सदस्य
7–	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0	सदस्य
8–	निदेशक, जनगणना कार्य, उत्तराखण्ड।	सदस्य
9–	निदेशक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
10–	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराचंल	सदस्य
11–	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराचंल	सदस्य
12–	निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग	सदस्य
13–	अपर निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य, उत्तराखण्ड।	सदस्य
14–	सहायक निदेशक/संख्याधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सचिव/सदस्य

2— मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रयोजनार्थ राज्यपाल महोदय प्रदेश के प्रत्येक जिलों में निम्नवत जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन भी तात्कालिक प्रभाव से करते हैं। :—

1—	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3—	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4—	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
5—	जिला सूचनाधिकारी	सदस्य
6—	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7—	संबंधित जिला मुख्यालय की नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी।	सदस्य
8—	जिला संख्याधिकारी	सदस्य
9—	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10—	उप मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर जिला रजिस्ट्रार नगरीय	सचिव/सदस्य

3— राज्य स्तर पर गठित समन्वय समिति की बैठक शासन के मुख्यालय (देहरादून) में तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक जिलों के मुख्यालयों पर त्रैमासिक हुआ करेगा और इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 1973(1)/चि—2—2002—440/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड। शासन।
2— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड। शासन।
3— सचिव नगर विकास उत्तरांचल शासन।
4— महारजिस्ट्रर जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, 2—मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
5— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।, देहरादून।
6— महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0उत्तराखण्ड। देहरादून।
7— निदेशक, जनगणना कार्य उत्तराखण्ड।।
8— निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।।
9— निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तराखण्ड।।
10— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।।
11— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।।
12— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तराखण्ड।।
13— समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।।
14— कार्मिक अनुभाग—1/पंचायती राज अनुभाग

आज्ञा से
ह0
(अतर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या : 236 / चि–2–2003–42 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0
उत्तराखण्ड। देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 24 मार्च, 2003

विषय :– <u>उत्तराखण्ड के जिला चिकित्सालयों, राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि का प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाना।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड। राज्य के जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु संलग्न की जा रही सूची के अनुसार प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाये। अतः इस हेतु चिकित्सा प्रबन्धन समिति का संगम ज्ञापन तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के संगत अनुच्छेद का प्रारूप इस निर्देश के साथ संलग्न किये जा रहे हैं कि कृपया चिकित्सा प्रबन्धन समितियों का गठन सोसयटीज रजिस्ट्रेश एक्ट 1860 के अन्तर्गत 01 माह के अन्दर पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्नक में उल्लेखित चिकित्सालयों का यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली समस्त ा धनराशि समिति को दे दी जायेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि कि यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत दी जाने वाली धनराशि को शासन से चिकित्सालय को मिलने वाले अनुदान मे से उसी अनुपात में घटा दी जायेगी तथा समिति को चिकित्सालय के संचलनार्थ विभिन्न मानक पदो के स्थान पर एक मुश्त बजट अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त यूजर चार्जेज घटाकर दिया जायेगा। चिकित्सालयों में सृजित पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा शर्तें पूर्ववत रहेगी तथा वर्तमान में उन्हें जो वेतन एवं परिलब्धियां आदि राज्य बजट से दी जा रही है भविष्य में भी इस प्रकार दी जाती रहेगी।

3– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2346 / वि0अनु0–2 / 03 दिनांक 21 मार्च 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या : 236(1) / चि–2–2003–42 / 2003 तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।, देहरादून।
4– अपन निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, गढ़वाल / कुमांयू मण्डल / पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल।
5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चमोली, जिला चिकित्सालय पौड़ी गढ़वाल / हे0न0बस चिकित्सालय, श्रीनगर पौड़ी गढवाल / संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल / संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल / महिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल / जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल / ऋषिकेश / कारोनेान चिकित्सालय, देहरादून / एच एम जी चिकित्सालय हरिद्वार / जे एन एल नगर / बी डी पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल / महिला चिकित्सालय नैनीताल सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल / महिला चिकित्सालय हल्द्वानी / संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल / जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा / नागरिक चिकित्सालय रानीखेत / जिला पुरूष चिकित्सालय, पिथोरोगढ़ / महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ / नागरिक चिकित्सालय टनकपु / चम्पावत / रूद्रप्रयाग / चम्पावत / बागेश्वर।
8– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल

आज्ञा से
ह0
(अतर सिंह)
अनु सचिव

संख्याः 916 / चि–2–2003–88 / 20

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड। देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 11 अगस्त 2003

विषय :– **<u>प्रदेशिक चिकित्सा सेवा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्यक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का पुररीक्षण।</u>**

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 5584 / सेक–2पांच–323 / 8 दिनांक 31.08.1989 द्वारा प्रदेशिक चिकित्सा सेवा, प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, दन्त चिकित्सा सेवा के अधिकारियों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों के अध्यापकों का प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवं में प्रक्टिसिंग बन्दी भत्ता उक्त शासनादेशें में उल्लिखित दरों के अनुसार स्वीकृत किया गया है। अविभाजित उ0प्र0 में विभिन्न वर्गों व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण पर संस्तुति हेतु गठित वेतन समिति (1997–1999) के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से चिकित्सा सेवा के अधिकारियों पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध के एवं में अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरों में पुनरीक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों के क्रम में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्य चिकित्सकों को उक्त शासनादेशों दिनांक 31.8.1989 द्वारा दिया जा रहा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को निम्नानुसार पुनरीक्षत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	पूर्व वेतन सीमा (रूपया)	पूर्व स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्रतिमाह पर	वर्तमान वेतन सीमा (रूपया)	वर्तमान स्वीकृत / पुनरीक्षत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
1	रू0 3000 / – से कम	रू0 600 / –	रू0 10000 / – से कम	रू0 1000 / –
2	रू0 3000 / – और इससे अधिक किन्तु 3700 / – से कम	रू0 800 / –	रू0 10000 / – से 11999 / – तक	रू0 2000 / –
3	रू0 3700 / – और इससे अधिक	रू0 900 / –	रू0 12000 / – एवं उससे अधिक	रू0 2250 / –

उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमानों तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के योग की सीमा रू0 26,000/– मासिक होगी।

1– उपर्युक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय महंगाई भत्ता यात्रा/दैनिक भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना के लिए वेतनमान माना जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत बन्दी भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान ने इस प्रतिबन्ध व साथ माना जायेगा कि इसकी अनुमन्यता प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिस्पेन्सरी आदि में चिकित्सकों को स्वीकृत पदों तक ही सीमित होगी।

3– प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित व्यवस्था /दरें दिनांक 01 फरवरी 2003 से प्रारम्भ होगी।

4– प्रदेश के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या 748/चि0–2–2002–277/2002 दिनांक 08

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 391/वि0 दिनांक 07 अगस्त 2003 के प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संचया 916(1)चि– 2–2003–88/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड।, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
3– अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– समस्त । मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्या चिकित्सा अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय महिला उत्तराखण्ड।।
7– वित्त अनुभाग– 2
8– चिकित्सा अनुभाग– 1/31
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 4180चि0–2/2003–437/2003

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2003

विषय :– <u>उत्तराखण्ड। के सरकारी सेवाओं की चिकित्सा परिचार्य के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 तथा संशोधित 1968 जो कि उत्तराखण्ड। में भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत लागू है जिसके प्राविधान चिकित्सा के क्षेत्र में कर्मचारियों की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को देखते हुए पर्याप्त नहीं रह गये हैं इस कारण से कर्मचारियों को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रायः नियमों को शिथिलीकरण अपेक्षित हो जाता है। ऐसी दशा में आधुनिक चिकित परिदृश्य का ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड। सरकारी सेवक चिकित्सा परिचार्य नियमावली है। अतः प्रस्तवित चिकित्सा परिचर्य नियमावली 2003 प्रख्यापित होने तक की अवधि के लिए चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने तथा प्रगतिपूर्ति से संबंधित मामलों में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं :–

1– चिकित्सा अग्रिम –

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिए चिन्हित/सन्दर्भित चिकित्सालय/संस्थान के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी शासन द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधारपर प्रशासकीय विभाग द्वारा रू0 50,000.00 तक की सीमा तक अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। रू0 50,000–00 से अधिक के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा उपचार अग्रिम हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग एक के प्रस्तर–249 में निर्धारित सीमा रू0 25,00/– को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

उपरोक्त अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों का अनुपालन होगा (क) ऐसे अग्रिम की धनराशि अनमानित व्यय आंगणन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो।
(ख) अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर जो भी पहले हो उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अग्रिम का समय से समायोजना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु अधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों के लिए परिशिष्ट ''क'' में निर्धारित प्रपत्र पर रखा जाएगा, जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली संबंधित कर्मचारियों के वेतन से एक मुश्त कर ली जाएगी। और एक मुश्त वसूली न होने के कारणों के विस्तृत परीक्षण के बाद औचित्यपूर्ण स्थिति में मासिक किश्त न्यूनतम सम्भव वसूल किया जायेगा।

(घ) जब तक अग्रिम पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में ली गयी है।

2— चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता :—

प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार—

(क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी, सामान्य बीमारी अथवा सामान्य के मेमों पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।

(ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐवे उपचार प्रणालियों/परीक्षा जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के संबंध की प्रति अखिल भारती आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी हो पर की जायेगी।

(ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम से करायी गयी चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर व्यय आता है प्रतिपूर्ति की धनराशि/दरों में से जो भी कम हो देय होगी, किन्तु ऐसे उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रदेश के बाहर विशेष चिकित्सा —

असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचार प्रदेश स्थित चिकित्सालयों एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों के सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ जो प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर कर न हो की संस्तुति पर प्रदेश शासकीय/अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार की अनुमति शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी। और चिकित्सा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर व्यय अथवा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्था नई दिल्ली के अध्यतन दरों पर दोनों में से जो भी कम हो की दरों पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, आपातकालीन स्थिति में समायभाव के कारण यदि किसी रोगी को बिना पूर्व अनुममित के उपचार हेतु ले जाना पड़े तो ऐसे संसा का आकस्मिकमकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जिस पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही सम्बन्धित विभग द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

4— उक्त उपबल्ध उन्हीं कार्यरत अवकाश पर अथवा निलम्बित सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्य पर लागू होंगे, जिन पर उ0प्र0 कर्मचारी (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 या तो मूलतः या बाद में शासनादेशों द्वारा लागू है, किन्तु राज्य के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर यह नियमावली उसी सीमा तक लागू होगी, जहां तक ऑल इण्डिया सर्वेसेज (मेडिकल एटेन्डट) रूल्स 1954 में अन्यथा व्यवस्था न दी गयी हौ।

5— प्रदेश के भीतर तथा बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के दोनों दावों के स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतक धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकृर्ता अधिकारी
1 रू0 2000.00	राजकीय चिकित्सालय कार्यलयाध्यक्ष के अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी जहां उपचार किया गया हो अथवा जहां से सन्दर्भित किया गया हो	कार्यालयाध्यक्ष
	शासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालयों के सक्षम प्राधिकारी	
2. रू0 2,000.00 से अधिक किन्तु 10,000.00 तक	उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	विभगाध्यक्ष
3. रू0 10,000.00 से अधिक किन्तु रू0 50,000.00 से कम	कुमांयू मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमांयू मण्डल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन के प्रशासकीय विभाग
4. रू0 50,000.00 से अधिक	—तदैव—	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति

6— प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सा एवं संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया, से संलग्न अनिवार्यत् प्रमाण पत्र का प्रारूप पर वाउचर सत्यापित करावाकर व सक्षम स्तर का सर्न्दभत तथा प्रमाण पत्र तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष जैसे स्थिति हो, को 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित कार्यालाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रस्ताव 05 के अनुसार दावों को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे।

7– उपर्युक्त प्रस्ताव पांच में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात् विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सुनिश्चित करेंगे। जो सम्बन्धित स्वीकृता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे।

8– सेवानिवृत्त सरकारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृतक सरकारी सेवक पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धी कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे से वह सेवानिवृत्त हुये हों। उ0प्र0 अधिनियम 2000 के प्रस्तर पेंशन पठित शिडयूल 8 के अनुसार उत्तराखण्ड। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पेंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहें सम्बन्धित कार्यालय उत्तराखण्ड। के भौगोलिक क्षेत्र में नही है। तथा उत्तराखण्ड। क्षेत्र में स्थिति विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 10,000.00 तक तथा उससे धनराशि का दावा प्रशासनिक लेखाशीर्षक से करने के बाद दोनों राज्यों की धनराशि जनसंख्या के आधार पर परिभासित की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय एवं उनके परिवार के आश्रितों, सदस्यों तथा मृतक सरकारी सेवक पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल जायेगा जहां से सेवनिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की है। प्रदेश से बाहर आहरित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के सम्बन्ध उनका मण्डल वही माना जायेगा जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

10– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 636/बी–अनु0–2/2 दिनांक 17.10.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये ज रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1180(1)/चि0–2–2003–437/2002 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड। शासन।
2– स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड।।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराचंल।
7– अपन निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवल मण्डल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
8– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय उत्तराखण्ड।।
10– सचिवालय के समस्त ा अनुभाग।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अतर सिंह)
अनुसचिव

परिशिष्ट ‘‘क’’

देश के अन्दर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिमों का रजिस्टर

क0 सं0	कर्मचारी का नाम एवं पद नाम	अग्रिम स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत अग्रिम की धनराशि	अग्रिम आहरण की तिथि एवं वाउचन संख्या	प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने का निर्धारित तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे भुगतान अग्रिम की वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण	उपचायर व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृत आदेश की संख्या एवं तिथि	प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि	समायो जन हेतु अग्रिम का अवशेष यदि हो तो	अग्रिम की अवशेष धनराशि यदि कोई हो जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की संख्या एवं तिथि तथा जमा की गयी धनराशि	समायो जन बिल की सं0 एवं तिथि	आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जांच के ह0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

संख्या 1404 चि0शा0 /20

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग – देहरादून दिनांक 8 फरवरी, 2006

विषय :– <u>संरक्षित मातृत्व हेतु बन्दे मातरम् योजना को प्रारम्भ किये जाने विषयक।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय सचिव, परिवार कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अद्ध शा0प0 संख्या 12015/4/2003 एम0सी0एच0 दिनांक 1 जनवरी 2004 जो कि समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है कि सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा देश में उच्च मातृ तृत्यु की दर तथा सरकारी क्षेत्र मे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए गर्भवती माताओं को सुरक्षित मातृत्व सेवायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से फैडरेशन आफ आब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनाकोलोजिस्ट सोसायटी ऑफ इण्डिया (FOGSI) के सहयोग आफ आब्सट्रेटिक्स एण्ड मतरम योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है इस योजना का मुख्य उद्धेश्य निजी महिलाओं के निःशुल्क इलाज तथा उन्हें परिवार कल्याण सेवायें ओ0पी0डी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक माह की 09 तारीख बन्दे मात्रम दिवस के रूप में आयोजित की जायेगी तथा इस दिवस पर गर्भवती माताओं को निजी चिकित्सकों एवं राजकीय सुविधाओं से प्राथमिक आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र के द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं।

अतएव उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार से दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार अपने जनपद अधिक से अधिक निजी चिकित्सको को प्रेरित कर इस योजना में पंजीकरण करवायें। साथ ही सरकारी क्षेत्र में समस्त चिकित्सालयां/एफ0आर0यू0 को सक्रिय कर समस्त गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. वन्दे मातरम योजना को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा प्रतियों प्रिंट करवा लें ओर सभी आवश्यक कार्यवाही करवा लें।
2. 09 फरवरी 2004 को बन्दे मातरम का लागू करने के लिए विस्तृत तैयार करें।
3. 09 फरवरी 2004 बन्दे मातरम योजना को लागू करने के लिए निजी चिकित्सकों, स्वयं सेवी संगठनों, अन्य समाज के प्रतिनिधि प्रेस प्रतिनिधि, वरिष्ठ राजकीय

चिकित्सकों की योजना के क्रियान्वयन पर विचाार विमर्श हेतु बैठक का आयोजक करें।

4. यदि इस बैठक में आयोजना हेतु किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे प्रसारित किया जाय।
5. बैठक में आयोजन से पूर्व पंजीकरण की घोषणा हेतु फार्म तैयार कर लिया जाय बैठक के दौरान ही चिकित्सकों का पंजीकरण किया जाय तथा बैठक बाद अनुपस्थित चिकित्सकों हेतु फार्म वितरित किये जाये।
6. दिये गये सेम्पल के अनुसार लोगों बोर्ड (साइज 2x2 Ft.) को तैयार कर हेतु आदेश पारित कर दें।
7. पंजीकृत किये गये चिकित्सकों हेतु बन्दे मातरम मैटरनल केयर का विवरण हेतु पूर्व में ही तैयार कर लें।
8. बन्दे मातरम् योजना के सदस्यों द्वारा जो लाभार्थी लाभान्वित होंगे उन गर्भनिरोधक और आयरन फोलिक एसीड की गोली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है जिसकी व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1404 चि0—2—2004 / 2004 तददिनांक

प्रतिलिपि —

1— मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव

संख्या 1136 / XXVII-2-2005-270/200

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग – 2

विषय :– 73वे संविधान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

संविधान के 73वें संशोधन मे निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावनाओं को रूप देने के लिए पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 622 / पं0ग्रा0अ0 से अनु0 / 92(25) / 2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के शासनादेश संख्या अनुरूप जारी शासनादेश संख्या 3379/XXVIII-2-2004-270/2004 टी0सी0 दिनांक 11 फरवरी 2004 के क्रम में पुनः विभाग में करी गयी एक्टीविटी मैपिंग एवं परामर्श को दृष्टिगत रखकर, उक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2004 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड। के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत / ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी / कर्मचारी निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अनुरूप संपादित करेंगे, तथा विभाग के साथ–साथ पंचायत व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी होंगे।

जिला पंचायत स्तर :–

सामान्य प्रबन्धन कार्य (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)

1– विषयों से संबंधित सभी कार्यक्रमों / योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा अनुश्रवण एवं निरीक्षण करना।

2– जिला सेक्टरों / राज्य सेक्टर एवं केन्द्रीय योजनाओं आदि के कार्यक्रमों का मानकों के अनुसार कार्यान्वयन तथा लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित कराना।

3– समस्त विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना तथा स्थानीय आवश्यतानुसार मांगो को अग्रसारित करना। जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक का आयोजन करना तथा कार्यों की प्रगति से समिति को अवगत कराना।

ख – चिकित्सा :–

1– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के माध्यम से समस्त जनपद की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की योजना बनाना।

2– क्षेत्र पंचायत से प्राप्त मांगों का मानकों एवं लक्ष्यों के आधार पर जिला स्वास्थ्य योजना का निर्माण।

3– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि एवं भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ग– स्वास्थ्य :–

1– स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विभागों से समन्वय कराना।

2– विभिन्न निर्माण कार्यों एवं रख–रखाव का पर्वेक्षण एवं समन्वय कराना।

3– समस्त जिले के स्वास्थ्य सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित कर अग्रसारित करना एवं जिला बिन्दुओं पर जनपद स्तर पर कार्यवाही होनी है, उन्हें सम्पादित करना।

4– सम्पूर्ण जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करवाना।

5– स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विभागों से समन्वय करवाना।

6– स्वास्थ्य सेवाओं की परिसम्पत्तियों का रख–रखाव सुनिश्चित करना तथा इनका दुरूपयोग होने पर आवश्यक कार्यवाही करना।

घ– परिवार कल्याण :–

1– जनपद स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के माध्यम से सम्पूर्ण जनपद की परिवार कल्याण योजना का निर्माण/कार्यान्वयन कराना/करवाना तथा इसे अग्रसारित कराना।

2– समस्त जनपद में परिवार कल्याण योजना की स्थापना हेतु मांग अग्रसारित कराना।

3– राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्यों एवं निदेर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

सामान्य प्रबन्धन कार्य (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)

1– विभागीय योजनाओं में गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं समीक्षा करना।

2– जिला पंचायत स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3– क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्वास्य एवं कल्याण समिति के माध्यम से प्रबन्ध कार्य सुनिश्चित करना तथा सुस्तुति के साथ अग्रसारित करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–6

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड,

के

दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्राणीन है। प्रवगों के अनुसार विवरण।

(A Statement of categories of documents, those are held by it or under its control.)

निदेशालय में प्रायः दो श्रेणी के अभिलेख रखे जाते हैं

1– दिन प्रतिदिन प्रयोग मे होने वाले अभिलेख (फाइल पंजी, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाइल, कार्य विवरण चार्ट)

2– अभिलेखकार में सुरक्षित अभिलेख।

प्रथम श्रेणी के अभिलेखों की निरंतरता

प्रथम श्रेणी के अभिलेख की निरन्तरता तब तक बनी रहती है, जब तक ये प्रयोग में रहते हैं, परन्तु श्रेणी अभिलेखों का विभिन्न नियमों में कितने समय तक सुरक्षित रखा जायेगा इसका विवरण दिया गया है। वर्तमान नियमों में कागजात पर सभी अभिलेख तैयार किये जाते है। अतः इनकी दो श्रेणिया है :

1– स्थायी अभिलेख

2– सीमित अवधि के अभिलेख

LIST OF REGISTERS TO BE MAINTAINED IN AN OFFICE:

1- At level of head of office
2- Attendance of Registers.
3- Casual Leave Registers.
4- Register of dak received and despatched.
5- Local Dak Bahi Registers.
6- Registers of Files.
7- Registers of Weeding records
8- File Index Registers
9- Store Index Registers
10- Establishment order book.
11- Deadstock Register (Separately for perishable consumable atticle of perishable articles).
12- Live stock/Consumable Register
13- Stationary Register
14- Cycle Register
15- Register of type-writers/Duplicators/ Computer etc.
16- Telephone Registers (separately for residence / Office.)
17- Log book of Government Vehicles.
18- Register of Disciplinary proceedings.

2. **At the level of Drawing and Disbursing Officer**

19- Pay Bill register
20- T.A. Check register
21- Register of payees Stamped Receipts.
22- Register of Contingent Charges.
23- Expenditure Register.
24- Budget Register.
25- Budget Control Register.
26- Movement Register.
27- Pensions Check Register.
28- Sanction Drawl register of Provisional pension and retirement of Death Gratuity.

कागज का अपना जीवन काल होता है अतः स्थायी अभिलेख की भी अधिकतक अवधि 35 वर्ष निर्धारित है। शासनादेश संख्या 244/XXI (2) /2005 दिं0 25 अप्रैल 2005 द्वारा अभिलेखों को अभिलेखन (रिकार्डिंग) करने एवं उन्हें नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण दिया गया है :—

अभिलेखों के रख—रखाव एवं विनष्टीकरण की प्रक्रिया

संख्या-3339/तैतालिस 1-92-37(1)/84

प्रेषक,

शंकर लाल पाण्डेय
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
लखनउ   दिनांक 30 जनवरी, 1993

<u>विषय अभिलेखों का निर्दाग।</u>

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि शासनादेश संख्या: 3657/तैतालिस-1-37(1)/1984, दिनांक 7-1-1985 के साथ शासन ने मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा तैयार की गई अभिलेखों की एक ऐसी सूची निर्गत की थी जो लगभग सभी कार्यालयों में सामान्यत: रखे जाते है। इस सूची में यह बताया गया था कि विभिन्न अभिलेखों को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाया अब यह आवश्यक समझा गया है कि इस सूची को अद्यावधिक किया जाय। अंत: उक्त सूची को मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय से अद्यावधिक तथा संशोधित करा लिया गया है। इसकी एक प्रति संलग्न है।

2. मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि जिन कार्यालयों में निर्दान नियम विद्यमान न हो अथवा जिनमें ये नियम आलेख रूप में हों वे अपने निर्दान नियमों को अन्तिम रूप देने के लिये संलग्न सूची का उपयोग कर लें और जिन कार्यालयों में निर्दान नियम है व इस सूची की सहायता से अपने नियमों को अद्यावधिक बना लें।

आज्ञा से,
शंकर लाल पाण्डेय,
संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त
सचिव

क्रम संख्या	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा आय/नष्ट किया जाय।	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4
सामान्य पत्र व्यवहार			
1	उपस्थिति पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 161)	एक वर्ष	
2	आकस्मिक अवकाश पंजी (एम0जी0ओ0 1981 संस्करण, पैरा 1086)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद	
3	आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गई आडिट पत्रावलियां	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक।	
4	आय-व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष	
5	सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधि पत्रावलियां	अन्तिम निर्णय व वसूली राइट आफ के पश्चात तीन वर्ष	
6	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकों आदि के पत्र व्यपहार संबंधि पत्रावलियां	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
7	निरीक्षक टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र-व्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक।	
8	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां	स्थायी रूप से।	
9	प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष	
10	लेखन सामाग्रियों/प्रपत्रों के मांग-पत्र (इन्डेट) (स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39) क्रमश: प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174	तीन वर्ष तक	
11	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी यदि कोई निर्धारित हो।	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी पहले हो किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से संबंधित हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद	
12	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदक रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थाई रूप से सुरक्षित रखी जायेगी शेष प्रतियां पाँच वर्ष तक	
13	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्त सामग्रियां तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष	
14	सम्मेलनों/गोष्ठियों/मीटिंगों का कार्यवृत्त	एक प्रति स्थाई रूप से रखी जाय शेष तीन वर्ष तक	
15	विधान सभा/विधान परिषद्/लोक सभा/राज्य	पाँच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिये	

	सभी के प्रश्नों की पत्रावलियां	आश्वासनों की पूर्ति के पाँच वर्ष बाद
16	नियमविलियां, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रकिया, परिपाटी, पद्धति तथा उनकी व्याख्या संशोधन तथा उनकी पत्रावलियां	स्थाई रूप से
17	कार्य के मानक/स्टैंन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से
18	वीडिग शेड्यूल/अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची	पुनसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19	शासनादेशां/विभागीय आदेशों को गार्ड फाइलें	स्थायी रूप से
20	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 19)	पच्चीस वर्ष तक
21	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्अ कर दिये जाने तथा स्थाई रूप से सुरक्षित रखे जाने वाला पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद,
22	स्थाई पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थाई रूप से
23	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं0 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24	चालान बही (इन्वायस) (प्रान्तीय फार्म नं0 61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
25	आवधिक/सामयिक विवरण-पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिर्पोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
26	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियॉ के समाधान के पश्चात एक वर्ष
27	शिकयती पत्रों की पंजी (एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772(7)	दर्ज पत्रों के अन्तिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद
28	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोडकर जहॉ गजट, स्थायी रूप से रखा जाता हैं, शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक
29	सरकारी वाहनों की लोग बुक तथा रर्निग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात एक वर्ष बाद तक यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो
30	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर आफ कम्लीटेड रजिस्टर)	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर में उतार लिया जाने के तीन वर्ष बाद
31	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट ऑ पेंटिंग रिफरेन्सेज)	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनस्तिरित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद
32	अनुसूचित जाति/अनजाति के आरक्षण से	समस्त बाद, अपोल एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम

	संबंधित पत्रावलों एवं	निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद	
33	प्रशिक्षण से संबंधित पत्रावलियां	पाँच वर्ष	
34	शार्टहैण्ड नोट	एक वर्ष	
35	टाइप राइटर मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियां	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद	
36	साइकिल मरम्मत रजिस्टर एवं पत्रावलियां	निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने तथा अन्तिम निस्तारण एवं महालेखाकार उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद	
स्थापना/अधिष्ठान-2			
1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (पर्सनल पत्रावलियां)	पेंशन को अन्तिम स्वीकृति के पश्चात पाँच वर्ष तक	निजी पत्रावलियां व्यक्ति के स्थानान्तरण के साथ उसी प्रकार एक कार्यालय में स्थानान्तरित की जानी चाहिये, जैसे सेवा पुस्तिकायें तथा गोपनीय आख्यायें आदि स्थानान्तरित की जाती हैं।
2	अस्थायी/स्थापान नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थना-पत्रों/प्राप्त आवेदन-पत्रों की पत्रावलियां।	पाँच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों को छोडकर जो स्थाई रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे,	
3	वाहन, साइकिल गृह निर्माण सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से लबधित पत्रावलियां	अग्रिम की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो तो उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष	
4	इनरैलिड पेंशन स्वीकृति के मामलों की पत्रावलियां	पच्चीस वर्ष तक	
5	कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्ति संबंधी पत्रावलियां)	पेंशन ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पाँच वर्ष बाद	
6	ग्रेडशन सूची	स्थाई रूप से	
7	सेवा पुस्तिकायें/सेवा नामावलियां	वित्तीय नियम-संग्रह खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136-ए के अनुसार	
8	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर आफ ओथ आफ एलिजियेन्स) राजाना संख्या 3101/दो-बी-163-52 दिनांक 23-1-54 तथा संख्या 1221/दो-बी-163/64 दिनांक 15-5-64	नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियां नकल करके उन्हें सत्यापित करा लिये जाने के बाद	
9	स्थापना आदेश पंजी (इस्टैब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) राजाज्ञा संख्या ए-1792/दस-तीन-1929 दिनांक 11-4-30	स्थायी रूप	
10	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाज्ञा सं0 ए-5641/दस-15/7/62 दिनांक 24-2-65 द्वारा निर्धारित	तदैव	

11	गोपनीय चरित्रावलियां/गोपनीय आख्याए	सेवा निवृत्ति/पद-त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष
12	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती वाण्ड (वित्तीय नियम संगह खण्ड पाँच, भाग-एक का पैरा 69-73)	सरकारी कर्मचारियों के पद छोडने के दस वर्ष बाद (1) मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद (2) वार्षिक सत्यापन का पत्र-व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद
13	पंजी जमानत (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पाँच, भाग एक का पैरा 69-73)	पैरा 73 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक 1 पद छोडने के 6 माह बाद या नए रजिस्टर में प्रवष्टियां नकल कर लेने के बाद
14	पेंशन ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि को पत्रावली	सेवा निवृत्ति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात दस वर्ष
15	पारिश्रमिक/पारितांषिक स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियां	भुगतान आडिट आपत्ति के अन्तिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद
16	राजकीय कम्रचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन (वैरिफिकेशन आफ कैरेक्टर एण्ड ऐन्टर्सीडेन्ट्स)	सेवा निवृत्ति के पाँच वर्ष बाद तक
17	विभिन्न पदों के सुधान सम्बन्धी पत्र-व्यवहार की पत्रावली	पद का सुधान स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष
18	नई मांगों को अनुसूची सम्बन्धी पत्रावली	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाएगी। शेष पत्रावली स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद तक
19	वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक नियंत्रण पंजी	रजिस्टर समाप्त होने के पाँच वर्ष बाद।यदि किसी रोकों गई वेतनवृद्धि या दक्षतारोक का मामला अनिस्तारित न हो या कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
20	पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर (राजज्ञा संख्या सं0 जी-2-3994/दस-927-1958, दिनांक 10-2-64 में निर्धारित	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पाँच वर्ष बाद
21	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर राजाज्ञा संख्या 1284/दो-बी-99-60, दिनांक 11-4-1961 में निर्धारित)	सभी दर्ज मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पाँच वर्ष तक
22	प्रत्यावेदन/अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा संख्या 7-2-1975 नियुक्ति (3) दिनांक 4-7-73 में निर्धारित)	सभी दर्ज प्रत्यावेदन/अपीलों के अन्तिम निस्तारण के पाँच वर्ष बाद
23	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर- (1) लेजर (2) ब्राडशीट (3) इण्डेक्स (4) पास बुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के पाँच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवशेष न रह गए हों।
24	मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली	सभी मामलों में नियुक्ति आदेश की प्रति वैयक्तिक पत्रावली में रखे जाने के 10 वर्ष बाद

25	सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से हुई नियुक्ति	10 वर्ष
26	तैनाती/स्थानान्तरण से सम्बन्धित पत्रावलियां	5 वर्ष
27	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद
28	विभागीय चयन समिति से सम्बन्धित पत्रावली	समस्त बाद अपील एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद
29	गर्मियों के लिए वाटर मैन की नियुक्ति	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद
लेखा- 3		
1	यात्रा भत्ता प्रकरण	आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद
2	टी0ए0बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टर (वित्तीय नियम-संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 119)	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
3	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद
4	प्रासंगिक व्यय पंजी (कंटीजैन्ट रजिस्टर) वित्तीय नियम संग्रह, खण्उ पाँच भाग-एक का पैरा 173	आडिट के पाँच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
5	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स रोल) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 138, फार्म 11 बी	पैंतीस वर्ष। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 85, परिशिष्ट 16 के अनुसार।
6	बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 139	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
7	कैश बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो
8	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह (71)/68 डी.टी. दिनांक 7-5-1970 द्वारा निर्धारित)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
9	रेलवे रसीद रजिस्टर (आर0आर0रजिस्टर)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
10	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष
11	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष
12	बिल इनकैशमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 47-ए	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न किसी धनराशि के अपहरण चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो।
13	पी0एस0आर0 (पेइज स्टैम्पड रिसीट रजिस्टर)	महालेखाकार के आडिट की आपत्तियों के

	राजाज्ञा संख्या ए -1-150/दस-10(2)/60, दिनांक 28-4-1960 तथा ए-1-2878/दस-15 (5)-78, दिनांक 10-1-79	निस्तारण हो जाने के पाँच वर्ष बाद
14	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो।
15	रसीद बुक, ईशू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म न0 385 वि पैरा 26)	दस वर्ष यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हों।
16	परमानेन्ट ऐडवान्स रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 67 (5)	स्थायी रूप से
17	बैल्युएबिल रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 38)	स्थायी रूप से
18	डुप्लीकेट की (Key) रजिस्टर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 28, नोट (1)	स्थायी रूप से
19	आवासीय भवनों की किराया पंजी फार्म 27 वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पाँच भाग-एक का पैरा 265	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष, यदि कोई अवशेष किराये की वसूली का प्रकरण या आडिट आपत्तियों का निस्तारण अवशेष न हो।
20	महालेखाकार उ0प्र0 से प्राप्ति तथा व्यय के आंकडों का समाधान	आंकडो के पूर्व सत्यापन को अन्तिम करने के पश्चात् 2 वर्ष
21	राइट आफ हानियाँ	महालेखाकार, उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद यदि कोई प्रकरण लम्बित न रह गया हो।
22	सरकारी धन और भण्डार के दुर्विनियोग और गबन	प्रकरण के पूर्ण अन्तिम निस्तारण हो जाने एवं महालेखाकार उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद
23	आवास भत्त एवं अन्य भत्त	महालेखाकार उ0प्र0 का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद
24	भूमि तथा भवन पंजी (वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-एक के प्रस्तर 265 (ए) में निर्धारित	स्थायी रूप से

1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियों (पर्सनल पत्रावलियां)	पेंशन की अंतिम स्वीकृति पश्चात पांच वर्ष तक	निजी पत्रावलियों व्यय के स्थानान्तरण के उसी प्रकार कार्यालय दूसरे कार्यालय स्थानान्तरित की जानी चाहिए जैसे से पुस्तिका तथा गोपनीय आख्या यदि स्थानान्तरित की जाती है।
2	अस्थायी/स्थापन्ना नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों को छोंड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)	
3	गोपनीय चरित्र आख्या पंजिकाये, गोपनीय आख्यायें	सेवानिवृत्ति/पद त्याग के या समाप्ति के तीन वर्ष बाद	
4	पराश्रमिक/पारितोषिक स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियां	भुगतान आडिट, आपत्ति के अन्तिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रपंजी में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद	
5	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन	सेवनिवृत्त के पांच वर्ष बाद।	
6	नई मांग की अनुसूची संबंधी पत्रावली	सूची के पांच वर्ष बाद	
7	वार्षिक वेतनवृद्धि नियंत्रण पंजिका	रजिस्टर समाप्त होने के पांच वर्ष यदि किसी रोकी गयी वेतनवृद्धि का मामाला अनिस्तांरित न हो या कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण शेष न हो।	
8	सेवाओं में आरक्षण 1— विभिन्न संवर्गों के रोस्टर	स्थायी रूप से	
ग	बजट एवं लेखा संबंधी पत्रावलियां/रजिस्टर		
27	शिकायती पत्रों का पंजी। एम0जी0ओ0 वर्ष 1982 संस्करण का पैरा 772(7)	दर्ज पत्रों के निस्तरण हो जाने या पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर पर उतार लेने के बाद	

28	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालय को छोड़कर जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है, शेष कार्यालयों में 20 वर्ष तक	
29	स्रकारी वाहनों की लाग–बुक तथा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम, द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पश्चात एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति नि0 हेतु शेष न हो।	
30	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर आफ कम्पलीटड रजिस्टर्स)	किसी खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर पर उतार लेने के तीन वर्ष बाद।	
31	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट ऑफ पेंडिंग रजिरेन्सज)	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार लिये जाने के तीन वर्ष बाद।	
32	गार्ड फाइल	स्थायी रूप से	
ख	स्थापना/अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियों एवं रजिस्टर		
1	यात्रा भत्ता प्रकरण	आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद।	
2	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियां की पत्रावली	महालेखाकार से अंतिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद।	
3	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली।	व्यय के महालेखाकर के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन होने के दो वष।	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल का प्रेषण :–

मैनुअल	**मैनुअल का उत्तर**
1– मैनुअल – 1 संगठन की विशिष्टियों कृत्य एवं कर्तव्य में संगठन का ढांचा नहीं लगाय है, पृष्ठ –3 का मैनुअल–1 का भाग बनाते हुए संगठन का शासनादेश संलग्न करने की आवश्यकता होगी	उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के अधिन होम्योपैथिक निदेशालय एवं जनपद स्तरीय संरचना ढांचे का गठन किया गया है
2– 1.2 मैनुअल –2 में अधिकारियों की वित्तीय अधिकारों के विषय में उल्लेख नहीं किया गया है।	विभागीय ढांचा स्वीकृत होने के पश्चात् निदेशक होम्योपैथिक को वित्तिय अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। – पूर्ववती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को वित्तीय अधिकार निम्नवत् प्रदत्त है, उसी के अनुपालन में वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। 1– अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का आहरण वितरण अधिकार। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न)
3– 1.3 मैनुअल – 3 में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन किए जाने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है, पर उल्लेख करने की आवश्यकता है ?	विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का मार्ग–दर्शन दिये जाते हैं।
4– 1.4 मैनुअल–5 विभाग के नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख जन–सामान्य की जानकारी हेतु समाहित करके पृथक मैनुअल का भाग बनाना उचित होगा?	इस सम्बन्ध में अनुपालन किया जा रहा है, शीघ्र ही तत्सम्बनधी मैनुअल बनाकर आयोग को प्रेषित किया जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 <u>मैनुअल संख्या– 7</u>

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।

व्यवस्था की विशिष्टियां, उसकी नीति बनाने या उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

The particulars of arrangement that exists for the consultation with representation by the members of the public in formulation by the members of the public in formulation by the members of the public in formulation of its policy or implementation there of.

विभिन्न राज्याज्ञों के अधीन क्षेत्र स्तर से प्रतिनधित्व द्वारा प्रस्तावित योजना तदनुसार जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजना एवं प्रस्तावों के पूर्ति हेतु शासन को संदर्भित किया जाता है। क्षेत्र स्तर पर तहसील दिवसों एवं जिला पंचायतों की बैठकों में जनता एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, <u>मैनुअल संख्या –8</u>

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड के बोर्डों, परिषदों, समितियो

और अन्य निकायों का विवरण।

<u>होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड :–</u>

राज्य में होम्योपैथिक बोर्ड के अन्तर्गत चिकित्सा पद्धति से शिक्षित छात्रों का पंजीयन एवं उनके शिक्षण संस्थानों के नियमन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। उक्त हेतु शासनादेश संख्या–999/XXVIII(1) 2005-109/2005 देहरादून दिनांक 09 जून, 2005 की अधिसूचना द्वारा होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का स्वायत्तशाषी संस्था के रूप में गठन किया गया है जिसका कार्य संचालन होम्योपैथिक निदेशालय,–होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून से किया जा रहा है, तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में मान्यता प्राप्त स्नातक चिकित्सकों का पंजीकरण किया जा रहा है।

विभाग के अन्तर्गत उक्त बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिषद, या समितियां अथवा अन्य निकायों का संचालन नही किया जा रहा है।

चिकित्सा अनुभाग – 1

संख्या –905/XXXVIII(1)/2005-109/2002 देहरादून दिनांक 09 जून, 2005

अधिसूचना

प्रकीर्ण

तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड। (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1951) अनुकूलन एवं उपरांतरण आदेश 2002 के भाग–2 की धारा–3 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड। होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का गठन किया जाता है। उक्त होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का कार्यालय धारा–6 के अनुसार तीन वर्ष का होगा तथा इसमें धारा–4 के अनुसार 12 सदस्य होंगे :–

धारा –4 क		
1	होम्योपैथिक उप–निदेशक, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2.	डा0 आर0डी0 वरूण, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी गोपेश्वर चमोली	सदस्य
3.	डा0 डी0के0 उपाध्याय, चिकित्साधिकारी, रा0हो0चि0, हर्रावाला	सदस्य
4.	डा0 सी0पी0काले, प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल, देहरादून	सदस्य
5.	डा0 जय प्रकाश नौटियाल, प्र0चि0अ0, जिला अस्पताल, देहरादून	सदस्य
6.	डा0 नसरीन फातिमा काजमी, जिला होम्यो0चि0अ0, देहरादून	सदस्य
धारा – 4 ख		
1.	डा0 एच0एस0 चौहान, चन्दोला होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल	सदस्य
2.	डा0 रेशु अग्रवाल, चन्दोला होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल	सदस्य
धारा – 4 ग		
1.	डा0 सीमा पेटवाल, 114/97 आर्यनगर, देहरादून	सदस्य
2.	डा0 के0एस0 राना, ग्राम– खदरी, देहरादून	सदस्य
3.	डा0 अशोक कुमार लोहानी, हैनिमैन क्लीनिक, मुखनी चौराहा, हल्द्वानी नैनीताल	सदस्य
4.	डा0 अरूण कुमार शर्मा, नेशनल होम्यो0दुर्गा मन्दिर, उधमसिंहनगर	सदस्य

ह0/
(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव

सूचना का अधिकार, 2005 मैनुअल संख्या–9
होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड
के
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

नाम / पदनाम	पता	फोन नम्बर
डा0 जे0एल0 फिरमाल, कर्यवाहक निदेशक	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	0135–2984041
डा0 कमलजीत सिंह	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
डा0 किरन मठपाल	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री शुभम तोमर, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री सुनील सिंह जीना, वैयक्तिक अधिकारी	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री कुमुद तिवारी, प्रधान सहायक	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री सुरेश प्रसाद, वरिष्ठ सहायक	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्रीमती बबीता नेगी, कनि0स0	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
श्री मनोज कुमार जोशी, कनि0स0	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	
वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी 06	होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	

नोट – जनपद स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की निर्देशिक जनपद स्तर पर किये जा रहे मैनुअलों में रखी जायेगी।

सूचना का अधिकार 2005 मैनुअल संख्या – 10

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।

के

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रिमिक

और निर्धारण की पद्धति

<table>
<tr><th>नाम</th><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th><th>लेवल</th></tr>
<tr><td>डा0 जे0एल0 फिरमाल</td><td>निदेशक</td><td>131100–216600</td><td>13 क</td></tr>
<tr><td>डा0 कमलजीत सिंह</td><td>उप निदेशक</td><td>78800–209200</td><td>12</td></tr>
<tr><td>डा0 किरन मठपाल</td><td>उप निदेशक</td><td>67700–208700</td><td>11</td></tr>
<tr><td>श्री शुभम तोमर</td><td>वरिष्ठ वित्त अधिकारी</td><td>67700–208700</td><td>11</td></tr>
<tr><td>श्री सुनील सिंह जीना,</td><td>वैयक्तिक अधिकारी</td><td>44900–142400</td><td>7</td></tr>
<tr><td>श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट,</td><td>वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक</td><td>35400–112400</td><td>6</td></tr>
<tr><td>श्री कुमुद तिवारी,</td><td>प्रधान सहायक</td><td>35400–112400</td><td>6</td></tr>
<tr><td>श्री सुरेश प्रसाद,</td><td>वरिष्ठ सहायक</td><td>29200–92300</td><td>5</td></tr>
<tr><td>श्रीमती बबीता नेगी,</td><td>क0 आ0/क0स0</td><td rowspan="4">(आऊट सोर्सिंग)</td><td></td></tr>
<tr><td>श्री मनोज कुमार जोशी</td><td>क0 आ0/क0स0</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>वाहन चालक–02</td><td>(आऊट सोर्सिंग)</td></tr>
<tr><td>चतुर्थ श्रेणी – 04</td><td>(आऊट सोर्सिंग)</td></tr>
</table>

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन के साथ–साथ महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता आदि अनुमन्य होते हैं। इसका निर्धारण शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों से होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 <u>मैनुअल संख्या – 11</u>

शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियां

<u>संख्या' 1298 / XXVIII(1)-2006-159/2005</u>

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाएं
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग – 1 **देहरादूनः दिनांक 8 नवम्बर, 2006**

विषय :– **<u>वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 25प/होम्योपै0/31/2001/2006–07/2508, दिनांक 05 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहना का का निर्देशहुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 राज्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक निदेशाल के सुदृढ़ीकरण हेतु पदों का सृजन व वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1.	सहायक लेखाकार	01	4500–125–7000
2.	आशुलिपिक	01	4000–100–6000
3.	मुख्य सहायक	01	4500–125–7000
4.	प्रवर सहायक	01	4000–100–6000
5.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	02	3050–75–3950–80–4590
6.	वाहन चालक, अनुसेवक, स्वच्छ चौकीदार		03 पदों का कार्य आउटसोर्सिंग से लिया जायेगा

		कुल पद 06	

उक्त पदों का सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय निम्न प्रकार होगा :–

आर्वतक व्यय	रूपये (हजार में)
लेखा शीर्षक – 2210	
01– वेतन	125
02– मजदूरी	10
03– महंगाई भत्ता	50
04– यात्रा भत्ता	05
05– स्थानान्तरण भत्ता	10
06– अन्य भत्ता	20
07– मानदेय	–
08– कार्यालय व्यय	30
09– विद्युत देय	10
11– लेखन–सामग्री तथा फार्मों की छपाई	30
12– कार्यालय फर्नीचर	25
13– टेलीफोन पर व्यय	05
14– कार्यालय प्रायोर्थ स्टाफ कारों का व्यय	–
15– गाड़ियों का अनुरक्षण, पेट्रोल आदि की खरीद	30
17– किराया उपशुल्क	05
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	10
42– अन्य व्यय	25
44– प्रशिक्षण	–
45– अवकाश यात्रा व्यय	–
47– कम्प्यूटर अनु0 / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
48– महंगाई भत्ता	50
योग	**490**

अनावर्तक व्यय	**रूपये (हजार में)**
25– मशीन, साज–सज्जा / उपकरण संयंत्र	50
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर क्रय	75
योग –	125
योग (आर्वतक + अनावर्तक व्यय)	615

(रू0 छः लाख पन्द्रह हजार मात्र)

2– उक्त पदधारों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3— उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—12 के लेखाशीर्षक—2210— चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य—02 शहरी स्वास्थ्य सेवायों —अन्य चिकित्सापद्धतियां, 102— होम्योपैथिक, 03— निदेशन तथा प्रशान, 01— होम्योपैथिक निदेशालय के नामें डाला जायेगा।

5— उक्त पद महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में अतिरिक्त के रूप में होंगे और इन पदों पर कार्यरत कर्मी केवल होम्योपैथिक विभाग का कार्य देखेंगे।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0— 589/वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/2007 दिनांक 06 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड। देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन/एन0आई0सी0।
5. बजट राजाकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड— फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1982 / xxviii(1) 2006-03/2005 टी0सी

प्रेषक,

टी0आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाऐं
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक : 17 अक्टूबर, 2006

चिकित्सा अनुभाग– 1

विषय :– उप निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय हेतु वाहन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 25प / नि0हो0 / 11 / 2004–05 / 265 / 2667 दिनांक 26 सितम्बर 2006 के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में उप निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय के उपयोगार्थ एक बोलेरो वाहन कह किये जाने हेतु रू0 420640 / – (रू0 चार लाख बीस हजार छः सौ चालिस मात्र) की वित्तीय स्वीृति प्रदान करते हुए इतनी ही ध्नराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210– चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्धतियां– 102– होम्योपैथिक–03– निर्देशन तथा प्रशासन–01–होम्योपैथिक निदेशालय–14–कार्यालय प्रायोगार्थ स्टॉफ कार / मोटर गाड़ियों का कय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या – 1072 / वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 / 2006 दिनांक अक्टूबर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(टी0आर0 भट्ट)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3।
4– गार्ड– फाईल

आज्ञा से

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

संख्या–1289 / XXVIII(1)2006-207/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाएं
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 1 **देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर,2006**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य योजना के अन्तर्गत आठ नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 25प/होम्यो0/नियो0/31/2001/2006–07/2509, दिनांक 05 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 मे होम्योपैथिक विभाग में 08 नये होम्योपैथिक चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुन्स्यारी पिथोरागढ़, सामुदायिक केन्द्र जयन्ती अल्मोड़ा, सामु0 स्वा0 केन्द्र सितारगंज, ऊ0सिं0 नगर, सामु0स्वा0 केन्द्र नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, सामु0 स्वा0 केन्द्र गैरसैंण, चमोली, सामु0स्वा0केन्द्र अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र डोईवाला एवं मसूरी, देहरादून की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं पदों का सृजन निम्न विवरणानुसार अस्थई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनों 26 फरवरी, 2007 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रं0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1.	चिकित्सा अधिकारी	08	8000–275–13500
2.	फार्मेसिस्ट	08	4500–125–7000
3.	वार्ड ब्याय	08	2550–55–2660–60–3200
4.	स्वच्छ–कम–चौकीदार	08	आउट सोर्सिंग से कार्य सम्पादित कराया जाएगा।
	कुल पद	**32**	

उक्त पदो ंके सृजन होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :–

आर्वतक व्यय	रूपये (हजार में)
लेखा शीर्षक' 2210	
01– वेतन	1000
02– मजदूरी	01
03– महंगाई भत्ता	360
04– यात्रा भत्ता	20
05– स्थानान्तरण भत्ता	10
06– अन्य भत्ता	200
07–	20
08– कार्यालय व्यय	120
09– विद्युत व्यय	01
11– लेखन सामगी तथा फार्मों की छपाई	80
13– टेलीफोन पर व्यय	05
17– किराया उपशुल्क	07
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	01
42– अन्य व्यय	30
45– अवकाश यात्रा व्यय	01
47– कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बनी स्टेशनरी का क्रय	
48– महंगाई वेतन	500
योग	**2356**

अनावर्तक व्यय	**रूपये (हजार में)**
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	120
26– मशीन, सज्जा/उपकरण क्रय	120
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	240
योग (आर्वतक+अनावर्तत व्यय)	**2596**

(रू0 पच्चीस लाख छियान्वे हजार मात्र)

2– उक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

4– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्यय में अनुदान संख्या– 12 के लेखापरीक्षक 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत–04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –अन्य चिकित्सा पद्धतियां–102– होम्योपैथिक–03 अस्पताल और औषद्यालय –02––नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना विषयक सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जोयेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग का अशा0 सं0– 632/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–3 / 2006 दिनांक 03 अक्टूबर,

भवदीय,
(अतर सिंह)
उपसचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, देहरादून।

2– वरिष्ठ, कोषाधिकारी ।

3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन / एन0आई0सी0।

4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसोधन सचिवालय देहरादून।

5– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1290 / XXVIII(1)2006-214/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाएं
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर,2006

विषय :– वित्तीय वर्ष 2006–07 में टी0एस0पी0 योजना (जनजातीय बाहुल्य) के अन्तर्गत एक नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 25प / होम्यो0 / नियो0 / 31 / 2001 / 2006–07 / 2510, दिनांक 05 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वर्ष 2006–07 में होम्योपैथिक विभाग (टी0एस0पी0 योजना (जनजातीय बाहुल्य) के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र कालसी, जनपद देहरादून में एक नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु पदों का सृजन व वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 2007 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रं0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1.	चिकित्सा अधिकारी	01	8000–275–13500
2.	फार्मेसिस्ट	01	4500–125–7000
3.	वार्ड ब्याय	01	2550–55–2660–60–3200
	कुल पद	**03**	

उक्त पदो ंके सृजन होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :–

आर्वतक व्यय	रूपये (हजार में)
लेखा शीर्षक' 2210	
01– वेतन	161
02– मजदूरी	01
03– महंगाई भत्ता	57
04– यात्रा भत्ता	05
05– स्थानान्तरण भत्ता	04
06– अन्य भत्ता	32
07– मानदेय	05
08– कार्यालय व्यय	10
09– विद्युत देय	01
11– लेखन सामगी तथा फार्मों की छपाई	05
13– टेलीफोन पर व्यय	01
17– किराया उपशुल्क	01
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	01
42– अन्य व्यय	04
45– अवकाश यात्रा व्यय	01
48– महंगाई वेतन	81
योग	**380**

अनावर्तक व्यय	**रूपये (हजार में)**
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	01
योग	21
योग (आर्वतक+अनावर्तत व्यय)	**401**

(रू0 चार लाख एक हजार मात्र)

2– उक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

4– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्यय में अनुदान संख्या– 12 के लेखाशीर्षक– 2210– चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य– 02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवायें –अन्य चिकित्सा पद्धतियां – 102– होम्योपैथिक– 04– अस्पताल और औषधालय –01– होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना विषयक संसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

05– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 593/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/2006 दिनांक 03 अक्टूबर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(अतर सिंह)
उपसचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, देहरादून।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी।

3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन / एन0आई0सी0।

4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।

5– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–286 / XXVIII(1)2006-210/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाएं
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 1 देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर,2006

विषय :– वित्तीय वर्ष 2006–07 नवसृजित जनपदों बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 25प / होम्यो0 / नियो0 / 31 / 2001 / 2006–07 / 2506, दिनांक 05 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तम ान वर्ष 2006–07 में होम्योपैथिक विभाग के नवसृजित जनपदों बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना हेतु पदों का सृजन व वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रं0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1.	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	03	8000–275–13500
2.	चपरासी (03 पद)	03	3050–75–4590
3.	स्वच्छक –कम– चौकीदार (03 पद)		आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियत मानदेय पर भरे जायेंगे
	कुल पद	**06**	

उक्त पदों के सृजन होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :–

आर्वतक व्यय	रूपये (हजार में)
लेखा शीर्षक' 2210	
01– वेतन	150
02– मजदूरी	01
03– महंगाई भत्ता	65
04– यात्रा भत्ता	15
05– स्थानान्तरण भत्ता	30
06– अन्य भत्ता	45
07– मानदेय	20
08– कार्यालय व्यय	40
09– विद्युत देय	05
11– लेखन सामगी तथा फार्मों की छपाई	50
13– टेलीफोन पर व्यय	05
17– किराया उपशुल्क	05
27– औषधि तथा रसायन	100
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	05
42– अन्य व्यय	50
45– अवकाश यात्रा व्यय	05
47– कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बनी स्टेशनरी का क्रय	40
48– महंगाई वेतन	75
योग	**706**

अनावर्तक व्यय	**रूपये (हजार में)**
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
26– मशीन, सज्जा/उपकरण क्रय	50
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	100
योग	200
योग (आर्वतक+अनावर्तत व्यय)	**906**

(रू0 नौ लाख छः हजार मात्र)

2– उक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

4— उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्यय में अनुदान संख्या— 31 के लेखाशीर्षक' 2210— चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्या आयोजनागत—04— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं— अन्य चिकित्सा पद्धतियां— 796—जनजातीय क्षेत्र— उपयोजना— 00—05 कालसी (देहरादून) में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना विषयक सुसंगत इकाईयों केन नामें डाले जायेगा।

05— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 591/वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/2006 दिनांक 03 अक्टूबर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उपसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड। देहरादून।
3— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन/एन0आई0सी0।
4— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
5— गार्ड फाईल

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1595 / XXV(1)2006-04/2004

प्रेषक,

टी0आर0 भट्ट
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी सेवायें,
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 9 सितम्बर, 2006

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत होम्योपैथी विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या–908(1) / XXVIII(1)2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2006 पारित होने के फलस्वरूप चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी विभाग) की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ते अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतन एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकर किराया, पेन्शन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए उपरोक्त वचनबद्ध मदों में (01 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2006 तक की वित्तीय स्वीकृतियों को सम्मिलित करते हुए) आयोजनागत पक्ष में क्रमशः रू० 2185 हजार (रू० इक्कीस लाख पचासी हजार मात्र) तथा रू० 765 हजार (रू० सात लाख पैंसठ हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू० 2950 हजार (रू० उनतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ आपके निवर्तन पर रखने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– वित्तीय वर्ष 2006–07 की नई मांग की योजनागत पक्ष की स्वीकृतियां आयोजनेत्तर पक्ष में अवचनबद्ध मदों की स्वीकृतियां समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयत्र का क्रय तथा वाहन का क्रय आदि मदों की स्वीकृतियां शासन / वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक कार्य के आंगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत

आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

4— वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक में कुछ ऐसी योजनाऐं सम्मिलित हैं जिनका व्यय सरकार अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जाना है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृतियां उसी दशा में दी जाय, जब भारत सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाये तथा प्रशासनिक विभाग को अभिलेखों से पुष्टि कर दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के समेकित निधि में धनराशि स्थानान्तरित कर दी गयी है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जारी किये गए राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश अथवा बाह्य सहायता प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो जायें। इन योजनाओं की स्वीकृति भी जहाँ आवश्यक है, नियोजन/वित्त विभाग की पूर्व सहमति से निर्गत की जायेगी।

5— वित्तीय वर्ष 2006—07 के लिए संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक के उप—लेखाशीर्षक 12, 14, 16, 20, 26, 45 एवं 46 में उल्लिखित धनराशि के लिए यथासमय प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6— जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी हो, उनमें समस्त औपचारिकतायें तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायें, ताकि उसके अभाव में प्रतिपूर्व दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हों।

7— किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय संग्रह —1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय संग्रह खण्ड—पांच—भाग (लेखा नियम) कड़ाई आय—व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश—908(1)XXVIII(1)2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 (छायाप्रति संलग्न) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8— इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष— 2006—07 के अनुदान संख्या—30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नकों में अंकित लेखाशीर्षक के नामें डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या— 825 वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग—3/2006 दिनांक 05.09.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जो रहे हैं।

संलग्नक — यथोपरि

भवदीय,

(टी0आर0 भट्ट)
अपर सचिव।

सं0– 1595(1) / XXVIII(1)-2006-04/2004 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, माजरा, देहरादून।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
3– सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तराखण्ड।।
4– बजट राजकोषीय संसाधन एवं विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी।
6– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 1595(1) / XXVIII(1)06-04/04
दिनांक 9 सितम्बर, 2006

अनुदान संख्या– 30 लेखाशीर्षक – 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– अयोजनागत
04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– अन्य पद्धतियां
102– होम्योपैथी
02– अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान।
0201– हिरनाखेड़ी (हरिद्वार) में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।

क्रम सं0	**मद का नाम**	**धनराशि (रूपये हजार में)**
01	01– वेतन	200
02	02– मजदूरी	––
03	03– महंगाई भत्ता	90
04	04 – यात्रा भत्ता	10
05	05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	––
06	06– अन्य भत्ता	30
07	07– मानदेय	––
08	08– कार्यालय व्यय	12
09	09– विद्युत व्यय	––
10	11– लेखन सामग्री तथा फार्मों की छपाई	10
11	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
12	17– किराया उपशुल्क	06
13	26– मशीन साज सज्जा एवं उपकरण एवं संयंत्र	17
14	39– औषधि तथा रसायन	50
15	42– अन्य व्यय	10
16	48– मंहगाई वेतन	100
	योग	**555**

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 1595(1) / XXVIII(1)06-04/04
दिनांक 9 सितम्बर, 2006 का संलग्नक

अनुदान संख्या– 30 लेखाशीर्षक – 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– अयोजनागत
04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– अन्य पद्धतियां
102– होम्योपैथी
02– अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान।
0202– जगजीतपुर, ब्रहमपुर, बकुलिया झनकईयां में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।

क्रम सं0	**मद का नाम**	**धनराशि (रूपये हजार में)**
01	01– वेतन	600
02	02– मजदूरी	––
03	03– महंगाई भत्ता	250
04	04 – यात्रा भत्ता	20
05	05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	––
06	06– अन्य भत्ता	60
07	07– मानदेय	––
08	08– कार्यालय व्यय	45
09	09– विद्युत व्यय	––
10	11– लेखन सामग्री तथा फार्मों की छपाई	50
11	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80
12	13– टेलीफोन पर व्यय	––
13	17– किराया उपशुल्क	
14	26– मशीन साज सज्जा एवं उपकरण एवं संयंत्र	––
15	39– औषधि तथा रसायन	75
16	42– अन्य व्यय	100
17	48– मंहगाई वेतन	300
	योग	**1630**

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 1595(1) / XXVIII(1)06-04/04
दिनांक 09 सितम्बर, 2006 का संलग्नक

अनुदान संख्या– 30 लेखाशीर्षक –	2210–	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– अयोजनागत
	04–	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– अन्य पद्धतियां
	796–	जनजातीय उप क्षेत्र योजना
	03–	जोशीमठ में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना।

क्रम सं0	**मद का नाम**	**धनराशि (रूपये हजार में)**
01	01– वेतन	150
02	02– मजदूरी	0
03	03– महंगाई भत्ता	55
04	04 – यात्रा भत्ता	0
05	05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0
06	06– अन्य भत्ता	20
07	07– मानदेय	––
08	08– कार्यालय व्यय	06
09	09– विद्युत व्यय	––
10	11– लेखन सामग्री तथा फार्मों की छपाई	13
11	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
12	13– टेलीफोन पर व्यय	––
13	17– किराया उपशुल्क	––
14	26– मशीन साज सज्जा एवं उपकरण एवं संयंत्र	10
15	39– औषधि तथा रसायन	30
16	42– अन्य व्यय	06
17	48– मंहगाई वेतन	75
	योग	**385**

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 1595(1) / XXVIII(1)06-04/04
दिनांक 09 सितम्बर, 2006 का संलग्नक

अनुदान संख्या– 30 लेखाशीर्षक – 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– अयोजनागत
04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– अन्य पद्धतियां
796– जनजातीय उप क्षेत्र योजना
04– बाजपुर व धारचूला में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।
(हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा रही है)।

क्रम सं0	**मद का नाम**	**धनराशि (रूपये हजार में)**
01	01– वेतन	150
02	02– मजदूरी	0
03	03– महंगाई भत्ता	65
04	04 – यात्रा भत्ता	0
05	05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0
06	06– अन्य भत्ता	–
07	07– मानदेय	0
08	08– कार्यालय व्यय	05
09	09– विद्युत व्यय	0
10	11– लेखन सामग्री तथा फार्मों की छपाई	06
11	12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16
12	13– टेलीफोन पर व्यय	0
13	17– किराया उपशुल्क	0
14	26– मशीन साज सज्जा एवं उपकरण एवं संयंत्र	11
15	39– औषधि तथा रसायन	50
16	42– अन्य व्यय	10
17	48– मंहगाई वेतन	67
	योग	**380**

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

संख्या–1595 / XXVIII(1)2006-04/2004

प्रेषक,

डा0 भूपेन्द्र कौर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड। शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड।, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग – 1 देहरादूनः दिनांकः 10 मई 2006

विषय :– वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या– 12 के अन्तर्गत होम्योपैथी विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या– 908 (1) XXVIII(1)2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2006–07 के आय– व्ययक की मांगे स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2006 पारित होने के फलस्वरूप चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक विभाग) की योजनाओं क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख– 12 के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतना एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकार कियराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए उपरोक्त मदों में (01 अप्रैल, 2006 तक की वित्तीय स्वीकृतियों को सम्मिलित करते हुए) आयोजनागत पक्ष में रू0 19640 हजार (एक करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार मात्र) तथा अयोजनेत्तर पक्ष में रू0 53807 हजार (पांच करोड़ अड़तीस लाख सात हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 73447 हजार (सात करोड़ चौतीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– वर्ष 2006–07 की नई मांग की योजनागत पक्ष की स्वीकृतियां, अयोजनेत्तर पक्ष में अवचनबद्ध मदों की स्वीकृतियां, समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय तथा वाहन का क्रय आदि मदों की स्वीकृयिां शासन/वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

3– व्यय करने के पूर्व मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी अदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो

उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

4– वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में कुछ ऐसी योजनाऐं सम्मिलित हैं जिनका व्यय सरकार अथवा संस्थाओं द्वारा वहन किया जाना है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृतियां उसी दशा में दी जाय, जब भारत सरकार अथवा अन्य संस्थाओं से योजना कार्यान्वयन तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक प्राकृति प्राप्त हो जाय तथा प्रशासनिक विभाग को अभिलेखों से पुष्टि कर दें कि भारतीय रिजर्व बैंक राज्य के समेकित निधि में धनराशि स्थानान्तरित कर दी गयी है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जारी किये गए राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश अथवा बाह्य सहायता प्रप्येक दशा में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाये। इन योजनाओं की स्वीकृति भी जहाँ आवश्यक है, नियोजन/वित्त विभाग की पूर्व सहमति से निर्गत की जायेगी।

5– वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक के उप–लेखाशीर्षक 12, 14, 16, 20, 26, 45, 46 में उल्लिखित धनराशि के लिए यथासमय प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6– जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, उनमें समस्त औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायें, ताकि उसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

7– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाँच भाग– (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश संख्या–908(1)/XXVII(1) 2006 दिनांक, 24 अप्रैल, 2006 (छायाप्रति संलग्न) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डा० भूपिन्दर कौर)
अपर सचिव

संख्याः–820(1)/ XXVIII(1) /2006–04/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।।
5– समस्त जिला होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तराखण्ड।।
6– बजट राजकोषीय संसाधन एवं विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
8– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 820/XXVIII(1)/2005–04/2004 दिनांक मई 2008 का संलग्नक। अनुदान संख्या–12

धनराशि (हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
02– शहरी स्वास्थ्य सेवायें – अन्य चिकित्सा पद्धतियां		
102–होम्योपैथी		
03–निदेशन तथा प्रशासन		
0301– होम्योपैथी निदेशालय		
01– वेतन	–	575
02– मजदूरी	–	10
03– मंहगाई भत्ता	–	241
04– यात्रा व्यय	–	50
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–	30
06– अन्य भत्ते	–	63
07– मानदेय	–	40
08– कार्यालय व्यय	–	50
09– विद्युत देय	–	30
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	–	50
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	–	30
13– टेलीफोन पर व्यय	–	30
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों एवं मोटरगाडियों का क्रय	–	1
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	–	50
17– किराया, उपशुल्क और कर – स्वामित्व	–	50
19– विज्ञापन बिक्री और व्याखपन व्यय	–	20
20– अनुदान/अंशदान/राजसहायता	–	100
26– मशीनें और साज सज्जा एवं उपकरण	–	50
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	30
42– अन्य व्यय	–	50
44– प्रशिक्षण व्यय	–	1
45– अवकाश यात्रा व्यय	–	1
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	–	100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी व्यय	–	75
48– मंहगाई वेतन	–	287
योग	–	2014

02– शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्धतियां
102– होम्योपैथी
04– अस्पताल और औषधालय
0401– होम्योपैथिक चिकित्सालय

01– वेतन	1436	7700
02– मजदूरी	50	20
03– मंहगाई भत्ता	603	3234
04– यात्रा व्यय	100	70
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	70	100
06– अन्य भत्ते	158	850
07– मानदेय	20	0
08– कार्यालय व्यय	111	80
09– विद्युत देय	15	45
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	195	110
13– टेलीफोन व्यय	49	82
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों / मोटर गाडियों का क्रय	1	1
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	0	50
17– किराया, उपशल्क और कर – स्वामित्व	595	25
26– मशीनें और सज्जा एचं उपकरण और संयत्र	760	100
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	15	55
39– औषधि तथा रसायन	225	400
42– अन्य व्यय	96	100
45– अवकाश यात्रा व्यय	25	1
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	69	280
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तद्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	30	160
48– मंहगाई वेतन	576	3850
योग	5299	17413

2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें
102– होम्योपैथी
03– अस्पताल तथा औषधालय
0301– होम्योपैथिक चिकित्सालय

01– वेतन	–	18000
02– मजदूरी	–	30
03– मंहगाई भत्ता	–	6720
04– यात्रा व्यय	–	50
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–	120
06– अन्य भत्ते	–	1760
08– कार्यालय व्यय	–	100

09– विद्युत देय		–	55
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		–	60
12– कार्यालय फर्नीचर और उपकरण		–	100
17– किराया, उपशुल्क और कर – स्वामित्व		–	140
25– लघु निर्माण		–	100
26– मशीनें और सज्जा और उपकरण एवं संयत्र		–	200
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		–	110
39– औषधि रसायन		–	520
42– अन्य व्यय		–	200
45– अवकाश यात्रा व्यय		–	115
48– मंहगाई वेतन		–	8000
	योग	–	34380

2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

03– अस्पताल तथा औषधालय

0302– नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों स्थापना

01– वेतन		5256	–
02– मजदूरी		99	–
03– मंहगाई भत्ता		2211	–
04– यात्रा व्यय		190	–
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय		331	–
06– अन्य भत्ते		580	–
08– कार्यालय व्यय		290	–
09– विद्युत देय		84	–
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		300	–
12– कार्यालय फर्नीचर और उपकरण		500	–
13– टेलीफोन व्यय		100	–
17– किराया, उपशुल्क और कर – स्वामित्व		105	–
26– मशीनें और सज्जा और उपकरण		530	–
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		99	–
39– औषधि तथ रसायन		630	–
42– अन्य व्यय		350	–
45– अवकाश यात्रा व्यय		44	–
48– मंहगाई वेतन		2633	–
	योग	14341	–
	महायोग	19640	53807

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

संख्याः—857 / XL—1 / 2021—36 / 2021

प्रेषक,

गजेन्द्र सिंह कफलिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेषक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष षिक्षा अनुभाग देहरादूनः **दिनांक 19 अप्रैल, 2021**

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 01 / नि0हो0 / आय—व्ययक—1413 बी / 2021—22 दिनांक 01.04.2021 के क्रम में तथा वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—423 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2021 दिनांक 31.03.2021 में प्रदत्त दिशा—निर्देशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021—22 में होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं, विभाग के अनुदान संख्या—12 एवं अनुदान संख्या—31 के विभिन्न मदों में आय—व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक परिशिष्ठ—क एवं संलग्नक अलॉटमेंट आई0डी0 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 35,85,63,000 (रु0 पैंतीस करोड़, पिचासी लाख, तिरेसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रक्षते हुए आहरण कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

1. धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 423 / 9 (150)—2019 / XXVII (1) / 2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
2. आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी एलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय—समय पर जारी किए गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाएगी और तद्नुसार प्रत्येक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाएगी।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी0एम0—08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में

उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाएगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

7. धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
8. किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएं उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाये।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
10. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–12 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ठ 'क' एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के विवरणानुसार संचालित लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के विभिन्न मदों के सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 423/9(150)–2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

संख्याः XL–1/2021–36/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– 857/XL–1/2021–36/2021, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

तलिका–1 (धनराशि हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
अनुदान संख्या 012 लेखाशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां 102–होम्योपैथी 03–निदेशन एवं प्रशासन 01–होम्योपैथिक निदेशालय		
01– वेतन	10000	10000
02– मजदूरी	1	0
03– मंहगाई भत्ता	3103	3103
04– यात्रा भत्ता	260	260
06– अन्य भत्ते	1200	1200
07– मानदेय	20	20
08– पारिश्रमिक	2000	2000
09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	52	52
10– प्रशिक्षण व्यय	300	300
11– अनुमन्यता संबंधी व्यय	30	30
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	500	500
21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
22–कार्यालय व्यय	300	300
24– विज्ञापन, बिक्री विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	100	100
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	300	300
26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	100	100
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	100
29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन की खरीद	700	700
40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	200	200
42–अन्य विभागीय व्यय	200	200
51–अनुरक्षण	100	100
52–लघु निर्माण	100	100
योग	**19966**	**19965**
तालिका–2 अनुदान संख्या 012 लेखाशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां 102–होम्योपैथी 04–अस्पताल एवं औषधालय 01–होम्योपैथिक चिकित्सालय		
01– वेतन	51600	51600
03– मंहगाई भत्ता	15865	15865
04– यात्रा भत्ता	300	300
06– अन्य भत्ते	6135	6135
07– मानदेय	65	65
08– पारिश्रमिक	12000	12000

09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200	200
10– प्रशिक्षण व्यय	1	0
11– अनुमन्यता संबंधी व्यय	50	50
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	900	900
21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200
22–कार्यालय व्यय	700	700
23–किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	300	300
24– विज्ञापन, बिक्री विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	60	60
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	500	500
26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	250	250
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	300
29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन की खरीद	1700	1700
40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	300	300
42–अन्य विभागीय व्यय	900	900
43–औषधि तथा रसायन	5000	5000
51–अनुरक्षण	100	100
52–लघु निर्माण	200	200
योग	**97626**	**97625**

तालिका–3

अनुदान संख्या 012

लेखाशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां 102–होम्योपैथी 03–अस्पताल एवं औषधालय 01–होम्योपैथिक चिकित्सालय

01– वेतन	150000	150000
02–मजदूरी	1	0
03– मंहगाई भत्ता	45539	45539
04– यात्रा भत्ता	945	945
06– अन्य भत्ते	17611	17611
08– पारिश्रमिक	15000	15000
09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	450	450
11– अनुमन्यता संबंधी व्यय	50	50
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	520	520
21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200
22–कार्यालय व्यय	630	630
23–किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	262	262
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	500	500
40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	500	500
42–अन्य विभागीय व्यय	1500	1500
43–औषधि तथा रसायन	3000	3000
51–अनुरक्षण	100	100
52–लघु निर्माण	100	100
योग	236908	236907

तालिका–4 अनुदान संख्या 012 लेखाशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 102–होम्योपैथी 05–अन्य व्यय 06–होम्यापैथिक चिकित्सा बोर्ड को अनुरक्षण के लिए अनुदान		
02–मजदूरी	180	180
08–पारिश्रमिक	220	220
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	300	300
योग	700	700
तालिका–5 अनुदान संख्या 31 लेखाशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास- थ्य 04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 102–होम्योपैथी 02–कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना 00		
01– वेतन	2200	2200
03– मंहगाई भत्ता	666	666
04– यात्रा भत्ता	5	5
06– अन्य भत्ते	257	257
09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1	0
11– अनुमन्यता संबंधी व्यय	2	2
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	13	13
21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	27	27
22–कार्यालय व्यय	27	27
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1	0
40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	16	16
42–अन्य विभागीय व्यय	53	53
43–औषधि तथा रसायन	100	100
योग	3368	3366
महायोग	358568	358563

(कुल धनराशि रुपए पैंतीस करोड़, पिचासी लाख, तिरेसठ हजार मात्र)

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

संख्या–1530 / XXXX/2014-26/

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग **देहरादून:दिनांक: 18 सितम्बर,2014**

विषय :– भण्डारीसेरा तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.03.2014 को की गयी घोषणा संख्या 269 / 2014 भण्डारीसेरा तहसील काण्डा में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–377 / नि0हो0 / 355 / 2013–14 दिनांक 29.05.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीस वर्ष 2014–15 में भण्डारीसेरा, तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतुनिम्न तालिका के अनुसार कुल 04 अस्थायी, पदों का दिनांक 28.02.2015 तक बशर्ते इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, यसृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	चिकित्साधिकारी	01	पे बैंड–3	15600–39100	5400
2	फार्मेसिस्ट(भेषजिक)	01	पे बैंड–2	5200–20200	2800
3	बहुउद्देशिय कर्मी	01	आउट सोर्सिंग		
4	स्वच्छक	01			
	योग–	**04**			

3 उक्त पदधारक को वतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4 आउट सोर्सिग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक, 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04–ग्रामीण स्वाथ्य सेवायें–102–होम्योपैथी–03–अस्पताल और औषधालय–01–होम्योपैथिक चिकित्सालय के नाम डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–151(P) / XXVII(3) / 2014–2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या– /XXXX/2013–26/2014तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

संख्या–2188/XXXX/2015-06/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग **देहरादूनःदिनांकः 08 सितम्बर,2015**

विषय :– विकासखण्ड द्वाराहाट, अल्मोड़ा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–602/नि0हो0/मु.मं.घो.–1083/2015–16 दिनांक 22.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होम्योपैथ विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विषयगत होम्योपैथ चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार अस्थायी, पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि/नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2016 तक बशर्ते इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	**पदनाम**	**कुल पद**	**वेतनमान (रू0 में)**	**वेतन बैंड**	**ग्रेड पे**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	चिकित्साधिकारी	01	15600–39100	पे बैण्ड–3	5400
2	फार्मेसिस्ट	01	5200–20200	पे बैण्ड–2	4200
3	बहुउद्देशिय कर्मी	01	आउट सोर्सिंग		
4	स्वच्छक कम चौकीदार	01			
	योग–	**04**			

3 उक्त पदधारक को वतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4 आउट सोर्सिग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वाथ्य सेवायें–102–होम्योपैथी–04–अस्पताल तथा औषधालय–0401– होम्योपैथिक चिकित्सालय के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–286(P)/XXVII(3)/2015–2016 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–   / XXXX/2015-06/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

संख्या–984 / XXXX/2015-04/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग **देहरादून:दिनांक: 05 मई,2015**

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 14.11.2014 को की गयी घोषणा संख्या 1068 / 2014 गौचर, चमोली में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1057 / नि0हो0 / मु.म.घो.–1083 / 2014–15 दिनांक 31.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय होम्योपैथी विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में गौचर जनपद चमोली में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना तथा उक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार कुल 04 अस्थायी, पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि / नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2016 तक बशर्ते इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतनबैंड	वेतनमान	ग्रेड पे
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	चिकित्साधिकारी	01	पे बैंड–3	15600–39100	5400
2	फार्मेसिस्ट(भेषजिक)	01	पे बैंड–2	5200–20200	2800
3	बहुउद्देशिय कर्मी	01	आउट सोर्सिंग		
4	स्वच्छक	01			
	योग–	**04**			

2 उक्त पदधारक को वतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3 आउट सोर्सिग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक, 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वाथ्य सेवायें–102– होम्योपैथी–04–अस्पताल तथा औषधालय–0401– होम्योपैथिक चिकित्सालय के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–02(P) / XXVII(3) / 2015–2016 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–   /XXXX/2013–26/2014तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

संख्या–613 / XXXX/2019-39/2017(S.N.D)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग **देहरादून:दिनांक:16 अगस्त,2019**

विषय :– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून के अन्तर्गत नेहरूग्राम में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–213 / नि0हो0 / एस0एन0डी0–1026 / 2017–18 दिनांक 30.05.2017, पत्र संख्या–959 / नि0हो0 / एस0एन0डी0–1026 / 2017–18 दिनांक10 जनवरी,2018, पत्र संख्या–1048 / नि0हो0 / एस0एन0डी0–1026 / 2017–18 दिनांक 01 फरवरी, 2018, पत्र संख्या–319 / नि0हो0 / एस0एन0डी0–1026 / 2018–19 दिनांक 31 जुलाई, 2018, पत्र संख्या–365 / नि0हो0 / एस0एन0डी0–1026 / 2018–19 दिनांक 21 अगस्त, 2018 एवं पत्र संख्या–126 / नि0हो0 / 1407 / 2019–20 दिनांक 14 मई,2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, के अन्तर्गत जनपद देहरादून के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, कार्यालय, नेहरूग्राम की स्थापना करते हुये उक्त चिकित्सालय हेतु निम्न तालिका के अनुसार कुल 04 अस्थायी, पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि / नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2020 तक, बशर्ते इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	**पदनाम**	**संख्या**	**वेतनमान व ग्रेड**
1	***2***	***3***	***4***
1	चिकित्साधिकारी	01	वेतनमान रू0 56100–177500,(लेवल–10)
2	फार्मेसिस्ट(भेषजिक)	01	वेतनमान रू0 35400–112400,(लेवल–6)
3	बहुउद्देशिय कर्मी	01	आउटसोर्सिंग (रू0 13500 / –प्रतिमाह)
4	स्वच्छक	01	
	योग–	**04**	

2. उक्त तालिका के क्रमांक 01 एवं 02 में उल्लिखित पदधारक को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सुसंगत लेखाशीर्षक, अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–513 / XXVII(7) / 2019 दिनांक 13 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–   /XXXX/2019–39/2017(S.N.D)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतिय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% **"प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)"** दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशानिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नही होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 27(1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, आयुर्वेदिक यूनानी सेवायें, एवं होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या–1843 / XXXX / 2019–15 / 2012
देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2019
अधिसूचना

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 67ए सपठित साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के उपबन्धों के द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के भाग 6क के प्रयोजनार्थ निदेशक, होम्योपैथी को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' नियुक्त करते हैं।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–1843 / XXXX / 2019–15 / 2012,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त पौड़ी / नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
8. औषधि नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया होम्योपैथ औषधियों के लाईसेंसिग से सम्बन्धित समस्त आवाश्यक अभिलेख निदेशक, होम्योपैथ को हस्तगत कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें
10. एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या–1605/XXXX/2019–15/2012
देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में नियुक्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों/प्रभारी जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के भाग 6क के प्रयोजनार्थ उनकी क्षेत्राधिकारीता के अन्तर्गत ''निरीक्षक'' नियुक्त करते हैं।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–1843/XXXX/2019–15/2012,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या–2485 / XL-1 / 2021–15 / 2021
देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 67 क सपठित साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1897) की धारा 21 के उपबन्धों के द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा की अधिसूचना संख्या–1843 / XXXX / 2019–15 / 2012, दिनांक 15.11.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नियमावली के भाग 6क के पश्चात् नया भाग 7 क अन्तःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(चन्देश कुमार)
सचिव।

<u>संख्या–2485 / XL-1 / 2021–15 / 2021,तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त पौड़ी / नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
8. औषधि नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें
10. एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(ज्योति सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या–726 / XL-1/2022-40/2002</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग अनुभाग **देहरादून:दिनांक:19 अप्रैल,2022**

विषय :– होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग (निदेशालय) के पदों को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–255, दिनांक 29 जून,2021 एवं पत्र संख्या–799, दिनांक 01.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक संवर्ग के पदों को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होम्योपैथिक विभाग में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के अन्तर्गत सृजित कुल 05 पदों को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–204 / XXVIII(7)35(3) / 2013, दिनांक 28.10.2016 व कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–149 / XXX–2 / 2018–30(10) / 2018 दिनांक 21.05.2018 के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पूर्व पद नाम	पदनाम	वेतनमान	शासनादेश संख्या–884 दिनांक 15.12.2009 द्वारा स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.10.2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत स्वीकृत पद
1	आशुलिपिक ग्रेड–2 (ग्रेड पे–2400)	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 लेवल–05	03	44	02
2	आशुलिपिक ग्रेड–1 (ग्रेड पे–4200)	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक	35400–112400 लेवल–06	01	35	02
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (गेड पे–4200)	वैयक्तिक अधिकारी	ल्वेल–07	–	–	–
4		मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	56100–177500 लेवल–10	–	6	–

3. उक्त स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–316 / XXVII(7)20–30(14) / 23017, दिनांक 19.11.2020 के प्राविधानानुरूप उक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के रूप में दोहरा लाभ अनुमन्य नही होगा।

4. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें के ढांचे विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–884 / XXVIII–1(4)–2009–40 / 2002 दिनांक 15.12.2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–I / 28561 / 2022 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 726 / XL-1/2022-40/2002तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, <u>मैनुअल संख्या–12</u>

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियानवयन की रिति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं–

होम्योपैथिक विभाग में अनुदान सहायता/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियावन्यन की रिति आवंटित राशि और लाभार्थिंयों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मैनुअल संख्या – 13

होम्योपैथिक निदेशालय उत्तराखण्ड में

रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।

होम्योपैथिक विभाग में रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के सम्बन्ध में व्यवस्था होम्योपैथिक निदेशालय, में निहित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या –14

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड

के

किसी इलैक्ट्रनिक रूप में उपलब्ध सूचना में ब्यौरे

भारत सरकार के संगठन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तराखण्ड इकाई देहरादून द्वारा भारत सरकार को सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखण्ड एन०आई०सी० के वेबसाइट ua.nic.in पर होम्योपैथिक विभाग से सम्बन्धित सूचना तथा महत्वपूर्ण शासनादेश आदि उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या–15

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो तो उसका विवरणः–

सूचना अभिप्राप्त करने हेतु निदेशालय में लोक प्राधिकारों की नियुक्ति की गई है कभी भी कोई सूचना, सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी के गैरहाजिर रहने पर सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

विभाग में जनपदवार सूचना लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं ताकि नागरिकों को समय से सूचना प्राप्त हो सके। वर्तमान में निदेशालय द्वारा सूचना पटल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। समस्त कार्यालयध्यक्षों के द्वारा भी समान प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जाती रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, संख्या–16
होम्योपैथिक निदेशालय/जिला स्तरीय कार्यालयों में अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामांकन :–

निदेशालय स्तर पर

1–	प्रथम विभागीय अपील अधिकारी	–	डा0 जे0एल0 फिरमाल, निदेशक
2–	लोक सूचना अधिकारी	–	डा0 पमीता उनियाल, उप निदेशक
3–	सहायक लोक सूचना अधिकारी	–	डा0 गणेश सिंह, उप निदेशक

जिला स्तर पर :–

क्र०सं०	अपीलीय अधिकारी	पदनाम	जनपद
1–	डा0 स्नेहलता रतूड़ी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	पौड़ी गढ़वाल
2–	डा0 निशा फर्त्याल	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	नैनीताल
3–	डा0 के0के0 उनियाल	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	चमोली
4–	डा0 विकास ठाकुर	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	हरिद्वार
5–	डा0 ए0क्यू0 अंसारी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	टिहरी गढ़वाल
6–	डा0 महेश चन्द्र जोशी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	उद्यमसिंह नगर
7–	डा0 गणेश सिंह	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	पिथौरागढ़
8–	डा0 सरिता जोशी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	देहरादून
9–	डा0 बीना बर्गली	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	अल्मोड़ा
10–	डा0 मीरा हयांकी	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	उत्तरकाशी
11–	डा0 अशोक सिंह	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	चम्पावत
12–	डा0 बेला महर शाह	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	बागेश्वर
13–	डा0 दीपा तिलारा बिष्ट	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	रूद्रप्रयाग

लोक सूचना अधिकारीः– कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिक्त्साधिकारी, के निकटतम चिकित्साधिकारियों, को लोक सूचना अधिकारी, नामित किया गया है।

सहायक सूचना अधिकारीः– तद्पश्चात कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिक्त्साधिकारी, के निकटतम चिकित्साधिकारियों, के चिकित्साधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी, नामित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–1
संख्याः / 497 / XXVIII(1)/2005-133/2005
देहरादून : दिनांक : 05 सितम्बर, 2005

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 एवं धारा–19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु संलग्नक 1, 2, एवं 3 के अनुरूप नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– इन कार्मिकों को इन कार्यो हेतु अलग से कोई वेतन / भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नक यथोक्त

(एस०के०दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड। शासन देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. निदेशक, आयु० एवं यूना० सेवाएं एवं निदेशक, होम्योपैथिक सेवाएं उत्तराखण्ड। देहरादून।
7. समस्त क्षेत्रीय आयु० एवं यूनानी अधि० / जिला होम्यो० अधिकारी उत्तराखण्ड।।
8. एन०आई०सी०
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या –1497/XXVIII(1)/2005-133/2005
दिनांक 05 सितम्बर, 2005 का संलग्नक–3

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत होम्योपैथी निदेशालय/क्षेत्री कार्यालयों में अपीलेय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामांकन –

1– निदेशालय स्तर पर सर्वप्रथम 05 सितम्बर, 2005 को निम्न अधिकारियों को नामित किया गया था।

1–	प्रथम विभागीय अपील अधिकारी	श्री अमिताभ श्रीवास्तव, पदेन निदेशक
2–	लोक सूचना अधिकारी	डा० सोहनलाल शर्मा, उपनिदेशक
3–	सहायक सूचना अधिकारी	डा० डी०के०अपाध्याय, चिकित्साधिकारी

2– जिला स्तर पर –

1–	अपील अधिकारी	जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी
2–	लोक सूचना अधिकारी	ग्रामीण क्षेत्र का वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
3–	सहायक सूचना अधिकारी	जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी

(एस०के०दास)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत होम्योपैथी निदेशालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों में अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामांकन प्रस्तावित है–

1– निदेशालय स्तर पर

1–	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी –	डा0 जे0एल0 फिरमाल, निदेशक
2–	लोक सूचना अधिकारी –	डा0 कमलजीत सिंह उप–निदेशक
3–	सहायक लोक सूचना अधिकारी–	डा0 किरन मठपाल, उप निदेशक

2– जिला स्तर पर –

1–	अपील अधिकारी	जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी
2–	लोक सूचना अधिकारी	चिकित्साधिकारी जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय
3–	सहायक सूचना अधिकारी	जिला मुख्यालय के निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारी

3– तहसील/ब्लाक स्तर पर–

1–	अपील अधिकारी	जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी
2–	लोक सूचना अधिकारी	प्रभारी चिकित्साधिकारी जिला सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालय
3–	सहायक सूचना अधिकारी	समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र (होम्यो) प्राथ0 स्वा0 केन्द्र (होम्यो) एवं अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र (होम्यो) रा0हो0चि0, होंगे